नाबार्ड

वार्षिक रिपोर्ट 2024–25

वार्षिक लेखे 2024–25

**नाबार्ड का स्टैंडअलोन तुलन-पत्र,
लाभ और हानि लेखा, और नकदी प्रवाह 2024–25**

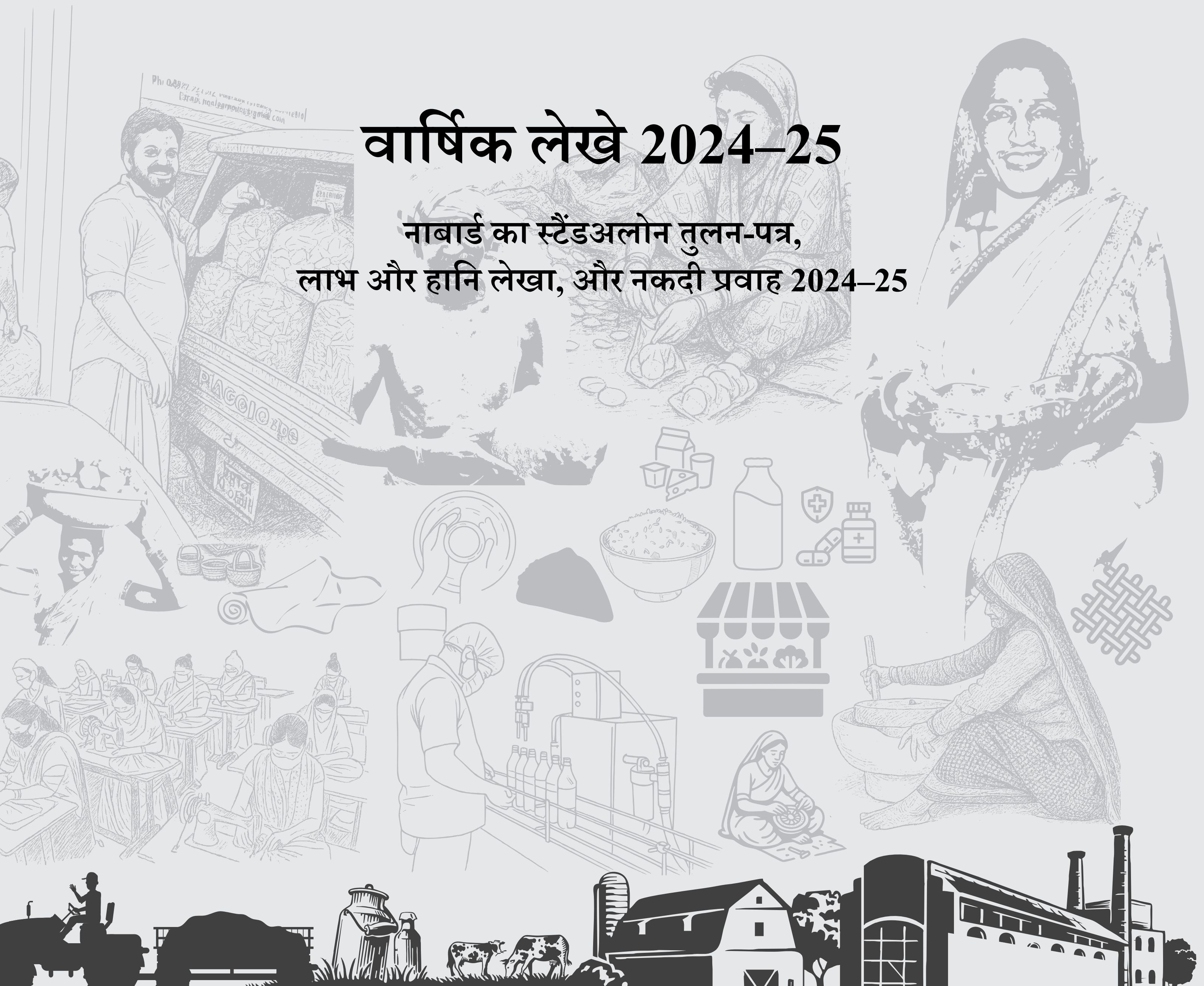

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. अभिमत

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('बैंक' या 'नाबार्ड') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2025 की स्थिति में तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों, नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं ('स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण').

हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पूर्ण और निष्पक्ष वित्तीय विवरण हैं जिनमें सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल किए गए हैं और उन्हें समुचित रूप से तैयार किया गया है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य नियमावली, 1984 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप, तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2025 की स्थिति में बैंक के कामकाज की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभों और नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं.

2. अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा" वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के अंतर्गत दिया गया है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें. आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुरूप में अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

3. लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें

हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें वे मदें हैं जो वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं. इन मदों पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुँचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मदों पर अलग अभिमत नहीं देते हैं. अपने व्यावसायिक मत में हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए हमने निम्नलिखित को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदों के रूप में लेने का निर्णय लिया है:

लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें

1. *अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों का प्रावधान.*

अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; तथा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') ने बैंकों के लिए अग्रिमों के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन पर विवेकपूर्ण मानदंड' ('आईआरएसीपी मानदंड') निर्धारित किए हैं.

अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने में उचित तंत्र की स्थापना शामिल होती है और बैंक को विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अग्रिम के लिए आवश्यक प्रावधान की राशि की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्तर का अनुमान लगाना आवश्यक होता है.

एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए महत्वपूर्ण निर्णयन और अनुमान निम्नलिखित पर महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं:

- आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान की पूर्णता और सामयिकता;
- ऋण जोखिम, नियत अवधि और ऋए के वर्गीकरण, प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन;
- एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित प्रत्यावर्तन.

चूँकि, अग्रिमों के वर्गीकरण, एनपीए की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान के सृजन (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत अतिरिक्त प्रावधानों सहित) और अग्रिमों पर आय के निर्धारण:

- के लिए बैंक द्वारा उचित नियंत्रण तंत्र और आकलन के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता होती है;
- का बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है; अत: हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है.

(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 6 के साथ पठित अनुसूची 11 देखें)

2. *निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधानन.*

- निवेशों में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बॉण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, म्यूचुअल फंडों, उद्यम पूँजी निधियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल होते हैं. आरबीआई के परिपत्र और निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, गैर-मान्यता प्राप्त आय और अनर्जक निवेशों के समक्ष प्रावधानन को शामिल किया गया है.
- उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे कि एफबीआईएल/ एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/ सूचना एकत्र करना शामिल है.

हमारी लेखापरीक्षा किस प्रकार इन लेखापरीक्षा के प्रमुख मामलों को संबोधित करती है

निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया

अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान में निम्नलिखित शामिल थे:

- एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों को समझना और उन पर विचार करना तथा पुन:संरचित अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधानों और आस्ति वर्गीकरण लाभ सहित आरबीआई (आईआरएसीपी मानदंडों) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर प्रवर्तमान दिशानिर्देशों के आधार पर क्षतिग्रस्त खातों की पहचान और प्रावधान के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना.
- बैंक द्वारा एनपीए की पहचान को कवर करने वाली मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएँ निष्पादित करना. इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:
  - उन एप्लीकेशन प्रणालियों, जिनमें अग्रिमों को दर्ज किया गया, द्वारा जनरेट की गई अपवाद रिपोर्टों की जाँच पर विचार करना.
  - दबाव की पहचान करने के लिए आरबीआई के बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक और अन्य बैंकों द्वारा स्पेशल मेंशन खाता ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर विचार करना.
  - मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाता विवरण, आहरण क्षमता गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना.
  - ऋण जोखिम अनुप्रवर्तन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़ना तथा बैंक के साथ पूछताछ करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ऋण खाते अथवा किसी उत्पाद में दबाव के संकेत या चूक की घटना तो नहीं घटित हुई है.
  - बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसरण में संपन्न आंतरिक लेखापरीक्षा और संगामी लेखापरीक्षा में उभरे प्रमुख प्रेक्षणों पर विचार करना.
  - बैंक के आरबीआई वित्तीय निरीक्षण की रिपोर्ट, प्रेक्षणों पर बैंक की अनुपालना और वर्ष के दौरान आरबीआई के साथ अन्य संप्रेषणों पर विचार करना.
  - आरबीआई के मास्टर परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर अग्रिमों की जाँच.
  - उधारकर्ताओं से खाता शेषों की स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त करना.
  - क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करना तथा अग्रिमों से संबंधित दस्तावेजों एवं अन्य अभिलेखों की जाँच करना.
- पहचान किए गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने, दबावग्रस्त सेक्टरों और खाते की महत्ता जैसे कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तिथियों, अप्राप्त ब्याज के रिवर्सल, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानन की जाँच की. हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर एनपीए के लिए प्रावधान की पुन: गणना की और हमारे द्वारा मापे गए परिणामों की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए परिणामों से की.

निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/ प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों को पहचानना और निवेशों से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को समझना शामिल था. विशेष रूप से:

हमने निवेशों के मूल्यांकन और एनपीआई की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा के मामले के रूप में पहचाना है, क्योंकि कुछ निवेशों (बॉण्डों, डिबेंचरों और वीसीएफ) के मूल्यों के निर्धारण में लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों के आधार पर प्रबंधन का आकलन शामिल होता है, एचटीएम बही हेतु क्षतिग्रस्तता आकलन प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित होता है, विनियामक फोकस की गहनता होती है और बैंक के वित्तीय परिणामों की समग्र महत्ता होती है.

(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 10 देखें)

3. बहुसंख्य आईटी प्रणालियाँ और नियंत्रण:

बैंक, प्रतिदिन बहुसंख्य और सूचना प्रौद्योगिकी की अलग-अलग प्रणालियों ('आईटी') पर संसाधित किए जाने वाले लेनदेनों की उल्लेखनीय संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है. लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण इन आईटी सप्रणालियों के इंटरफेस द्वारा उत्पन्न अनेक रिपोर्टों और उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों पर व्यापक रूप से निर्भर करता है.

वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंध रखने वाली प्रमुख आईटी प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएलएमएएस - लेनदेन संसाधन, कार्यप्रवाह और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली
- टीएएलएमएस - राजकोषीय परिचालन
- एम्पॉवर एचआरएमएस - मानव संसाधन और वेतन
- एफएएमएस - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा व्ययों का संसाधन
- रिपोर्ट तैयार करने अथवा उन्हें जनरेट करने में उपर्युक्त प्रणालियों में से एक अथवा एकाधिक प्रणालियों का इंटरफेस/ इंटरप्ले.

आईटी के सामान्य नियंत्रण और एप्लिकेशन नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि एप्लिकेशन और उसमें अंतर्निहित डेटा में परिवर्तन उचित तरीके से किए जाएं. एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली संभावित धोखाधड़ियों अथवा त्रुटियों के जोखिम को कम करने में इन समुचित नियंत्रणों का योगदान रहता है.

बैंक का प्रबंधन निरंतर अनेक सुधारात्मक गतिविधियों के प्रयास करता रहता है और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों पर आने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है.

इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं में निवारक और खोजी नियंत्रण का कार्यान्वयन शामिल रहता है.

इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में, हमने प्रौद्योगिकीजन्य महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिम को लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए अपनी लेखापरीक्षा की योजना बनाई, इसलिए इसे लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला माना गया है.

- मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, अनर्जक निवेशों पर आय का प्रत्यावर्तन और निवेशों से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा गया;
- इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया;
- प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः मूल्यांकन कर नमूना आधार पर सटीकता और आरबीआई के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया गया;
- आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसरण में मेंटेन किए जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुन:गणना के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं. तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और मेंटेन किए जाने वाले प्रावधान की पुनर्गणना की और यह देखा कि क्या आय का उपार्जन एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार है.

निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

- 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु विश्वसनीय आधार माने जाने वाले एप्लिकेशनों, ऑपरेटिंग सिस्टमों और डेटाबेसों तक पहुँच के अधिकारों सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों की सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा की गई.
- बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना;
- चयन के आधार पर ब्याज की गणना और परिपक्वता की तिथियों की पुनर्गणना की गई;
- चयन के आधार पर मास्टर्स अपडेशन, परिणामी रिपोर्टों के साथ इंटरफेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया;
- चयन के आधार पर सीएलएमएएस, टीएएलएमएस, एम्पावर और अनेक वर्कफ़्लो जैसी अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सीएलएमएएस के इंटरफेस की जाँच की गई;
- लेखांकन प्रणाली में गलत सिस्टम प्रविष्टियां दर्ज होने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त स्पष्टीकरण और चित्रण प्राप्त करने के लिए 'मूल कारण विश्लेषण' तथा ऐसी प्रविष्टियों के संबंध में पर्याप्त जाँच और संतुलन के अभाव के बारे में विस्तृत जाँच-पड़ताल की गई.
- मूल वित्तीय रिपोर्टिंग वाले मामलों के लिए प्रणालीजनित रिपोर्टों और लेखांकन प्रविष्टियों की हाथ से जाँच की गई (यानी कंप्यूटर सिस्टम का सत्यापन), ताकि लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गलत प्रविष्टियों को सही किया जा सके.
- गलत सिस्टम प्रविष्टियों की संभावना से बचने, अधिक उपयोगी प्रणालीजनित रिपोर्टें प्राप्त करने तथा सिस्टम में अधिक सुविधाएँ/ क्षेत्र शामिल करने के लिए, प्रबंधन ऐसे नए मॉड्यूल विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें सीएलएमएएस/ सीबीएस में एकीकृत किया जा सके.

4. वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल ऐसे अन्य प्रकटन शामिल हैं, वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ('अन्य सूचना') शामिल नहीं है.

अन्य सूचना हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उस पर हमने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन अथवा निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारा दायित्व यह है कि जब हमें अन्य सूचना उपलब्ध कराई जाए तो हम उस सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती. जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम एसए 720 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व' के अंतर्गत यथापेक्षित अभिशासन के प्रभारियों को इस विषय से अवगत कराएँ.

5. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन का कार्यभार संभालने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का दायित्व है कि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार और प्रस्तुत करें जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों. इन दायित्वों में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उनका कार्यान्वयन तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, इन दायित्वों में लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन तथा रखरखाव करना शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हैं. ये वित्तीय विवरण ऐसे होने चाहिए जो वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों और किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हों - फिर चाहे वह दुष्प्रस्तुति त्रुटिवश हो, या किसी धोखाधड़ी के कारण हो.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करते समय बैंक के संबंधित निदेशक मण्डल निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू मदों का प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा बैंक को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर 'निरंतर चलने वाली संस्था' के आधार का प्रयोग करके लेखांकन करने के लिए जिम्मेदार हैं.

बैंक का निदेशक मण्डल उसकी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार है.

6. समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो. तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखामानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी. दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन स्टैंडअलोन विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों. इस रिपोर्ट के अनुबंध 1 में आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया का विवरण दिया गया है.

7. अन्य मदें

- बैंक के 32 (बत्तीस) क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें प्रधान कार्यालय, 3 (तीन) प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं. बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रणाली क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए केंद्रीकृत है. कुल क्षेत्रीय कार्यालयों में से, हमने प्रधान कार्यालय सहित 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया है, जो 31 मार्च 2025 तक अग्रिमों का 35%, पीएसएल जमा का 100%, उधार का 100% और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 20%, पीएसएल जमा पर ब्याज व्यय का 100% और उधार पर ब्याज व्यय का 100% कवर करता है. इन क्षेत्रीय कार्यालयों को बैंक के प्रबंधन के परामर्श से चुना गया है. लेखापरीक्षा के संचालन में हमने बैंक के शेष क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है.
- 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया जा चुका है. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों की दिनांक 24 मई 2024 की रिपोर्ट में अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई थी. इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

8. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

बैंक का तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा, उसके शीर्षों और उप-शीर्षों सहित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किया गया है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण मांगें और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे.

ख) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में बैंक के जो लेनदेन आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत किए गए हैं.

ग) हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण बैंक की लेखा बहियों और हमारे द्वारा दौरा न किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों तथा स्टाफ कॉलेजों से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं.

घ) हमारे अभिमत में ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण सभी प्रकार से लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं.

कृते सुरेश सुराणा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं.: 121750W / W100010

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306
यूडीआईएन: 25102306BMHKOC3892

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

(पैरा 6 में उल्लिखित "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व")

लेखा मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षा के अंश के रूप में, लेखापरीक्षा के दौरान हम व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं. साथ ही :

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में बड़ी दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हों. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है.
- हम लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं. ऐसा विद्यमान परिस्थितियों में उचित लेखापरीक्षा पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए.
- हम निदेशक मण्डल द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं.
- हम निदेशक मण्डल द्वारा लेखांकन के 'निरंतर चल रही संस्था' आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष व्यक्त करते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो 'निरंतर चलने वाली संस्था' के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो. अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत को आशोधित करें. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं. तथापि भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के 'निरंतर चलने वाली संस्था' नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं.
- हम प्रकटनों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो.

वित्तीय विवरणों में दुष्प्रस्तुतियों की गंभीरता वह मात्रा है जो एकल रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है जिससे वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम निम्नलिखित मामलों में मात्रात्मक गंभीरता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई दुष्प्रस्तुति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहां प्रयोजनीय हो वहां संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों में से ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो हमारे व्यवसायिक विवेक के अनुसार वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों. हम ऐसी मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या, जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित में संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
स्टैंडअलोन तुलन-पत्र: 31 मार्च 2025 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	निधियाँ और देयताएँ	अनुसूची	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	पूँजी (नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		17,080.00	17,080.00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	1	63,413.71	55,787.40
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ	2	16,110.00	16,106.00
4	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	3	6,615.72	6,691.17
5	सरकारी योजनाएँ	4	723.61	1,506.36
6	जमाराशियाँ	5	2,75,991.45	3,01,958.07
7	बॉण्ड और डिबेंचर	6	3,27,366.25	2,86,150.10
8	उधार	7	2,51,220.50	2,01,082.58
9	चालू देयताएँ और प्रावधान	8	26,109.70	24,500.88
	कुल		**9,84,630.94**	**9,10,862.56**
	क्रॉस करेंसी स्वैपों द्वारा हेज किया गया विदेशी मुद्रा जोखिम		529.50	579.49

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
स्टैंडअलोन तुलन-पत्र: 31 मार्च 2025 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	संपत्ति और आस्तियाँ	अनुसूची	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	नकद और बैंक शेष	9	45,358.92	37,354.14
2	निवेश	10	91,817.30	69,827.79
3	अग्रिम	11	8,39,055.03	7,95,104.30
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)	12	559.91	548.84
5	अन्य आस्तियाँ	13	7,839.78	8,027.49
	कुल		**9,84,630.94**	**9,10,862.56**
	क्रॉस करेंसी स्वैपों द्वारा हेज किया गया विदेशी मुद्रा जोखिम		529.50	579.49
	प्रतिबद्धता और आकस्मिक देयताएँ	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: 121750W / W100010

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306

विनोद चंद्रसेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक : 27 मई 2025

डॉ अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
उप प्रबंध निदेशक

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*आय*	*अनुसूची*	*2024-25*	*2023-24*
1	ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज		50,675.74	43,432.35
2	निवेश परिचालनों/ जमाराशियों से आय			
(क)	निवेशों पर ब्याज		4,791.10	3,682.74
(ख)	निवेशों पर लाभांश		43.72	45.22
(ग)	निवेशों पर छूट		1,332.67	749.17
(घ)	निवेशों की बिक्री और पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ हानि		1,482.03	867.33
3	अन्य प्राप्तियाँ		99.15	69.79
	कुल "अ"		**58,424.41**	**48,846.60**

	व्यय	अनुसूची	2024-25	2023-24
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची - 18 की टिप्पणी आ - 28 देखें) 3	14	44,861.17	36,912.84
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 A	2,952.78	3,365.24
3	संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 B	152.61	136.02
4	प्रावधान	16	246.45	316.81
5	मूल्यह्रास और परिशोधन		56.79	47.78
	कुल "आ"		**48,269.80**	**40,778.69**
6	**कर-पूर्व लाभ (अ - आ)**		**10,154.61**	**8,067.91**
7	**प्रावधान के लिए**			
	क) आय कर		2,450.00	1,990.00
	ख) गत वर्षों के लिए आय कर समायोजन		-	-
	ग) आस्थगित कर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.5 देखें)		76.28	(25.21)
8	**कर-पश्चात् लाभ**		**7,628.33**	**6,103.12**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	18		

नोट: अन्य प्राप्तियों में स्टाफ ऋणों पर प्राप्त ब्याज, किराए से आय और अन्य विविध आय शामिल हैं.

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
लाभ और हानि विनियोजन लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विनियोजन/ आहरण	2024-25	2023-24
1	**वर्ष का लाभ- नीचे लाया गया**	7,628.33	6,103.12
2	जोड़ें:		
	लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष निधियों से आहरण [अनुसूची 1 देखें]		
क)	सहकारिता विकास निधि	54.55	33.29
ख)	अनुसंधान और विकास निधि	48.00	42.30
ग)	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
घ)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
ङ)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	34.28	28.27
च)	जलवायु परिवर्तन निधि	-	0.39
छ)	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
ज)	उत्प्रेरक पूंजी निधि	2.52	2.94
झ)	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	3.94	0.59
3	**विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ**	**7,832.78**	**6,281.44**
	घटाएँ : निम्नलिखित में अंतरित किया गया: [अनुसूची 1 और 2 देखें]		
क)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियाँ	850.00	700.00
ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1.00	1.00
ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1.00	1.00
घ)	अनुसंधान और विकास निधि	98.00	42.30
ङ)	सहकारिता विकास निधि	154.55	33.29
च)	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
छ)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
ज)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	34.29	28.27
झ)	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
ञ)	जलवायु परिवर्तन निधि	-	0.39
ट)	उत्प्रेरक पूंजी निधि	2.52	2.94
ठ)	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	3.94	0.59
ड)	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	1,000.00	-
ढ)	नाबार्ड कार्बन निधि	300.00	-
ण)	क्षेग्रा बैंक विकास निधि	100.00	-
त)	प्रारक्षित निधि	5,226.32	5,401.12
	कुल	**7,832.78**	**6,281.44**

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या: 121750W / W100010

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

रमेश गुप्ता	विनोद चंद्रशेखरन
साझेदार	मुख्य महाप्रबंधक
सदस्यता सं.: 102306	लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

डॉ अजय कुमार सूद	गोवर्धन सिंह रावत	शाजी के. वी.
उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	लाभ-हानि विनियोजन से परिवर्धन/ अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित/ आहरण	31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि
1	प्रारक्षित निधि *	39,799.13	5226.32	-	45,025.45
2	अनुसंधान और विकास निधि	50.00	98.00	48.00	100.00
3	प्रारक्षित पूँजी	74.81	-	-	74.81
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	1,885.70	-	-	1,885.70
5	सहकारिता विकास निधि	200.00	154.55	54.55	300.00
6	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधियाँ	13,150.00	850.00	-	14,000.00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	300.00	0.29	0.29	300.00
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	50.00	3.18	3.18	50.00
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60.00	34.28	34.28	60.00
10	ग्राम्य विकास निधि	110.00	57.69	57.69	110.00
11	जलवायु परिवर्तन निधि	20.00	-	-	20.00
12	उत्प्रेरक पूँजी निधि	20.00	2.52	2.52	20.00
13	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	17.75	-	-	17.75
14	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	50.00	3.94	3.94	50.00
15	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	-	1000.00	-	1,000.00
16	नाबार्ड कार्बन निधि	-	300.00	-	300.00
17	क्षेग्रा बैंक विकास निधि	-	100.00	-	100.00
	कुल	**55,787.39**	**7,830.77**	**204.45**	**63,413.71**
	गत वर्ष	**49,686.27**	**6,279.44**	**178.32**	**55,787.39**

* नोट: 'प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियों' के लिए नाबार्ड (अतिरिक्त) सामान्य विनियम, 1984 में निर्धारित प्रारूप में लाभ और हानि सेखा को एक उप-मद के रूप में रखा गया है. चूंकि बैंक में लाभ और हानि खाते में सभी प्रकार के विनियोजन के बाद शेष राशि को प्रारक्षित निधि में अंतरित करने की प्रथा है, इसलिए लाभ और हानि खाते में कोई राशि शेष नहीं रहती जिसके कारण ऊपर इसका अलग से प्रकटन नहीं किया गया है.

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरण	31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14,503.00	1.00	1.00	14,505,.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,603.00	1.00	1.00	1,605.00
	कुल	**16,106.00**	**2.00**	**2.00**	**16,110.00**
	गत वर्ष	**16,102.00**	**2.00**	**2.00**	**16,106.00**

अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा ब्याज#	वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन	31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि
अ.	**अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान**					
1	केएफडब्ल्यू एनबी यूपीएनआरएम - वित्तीय अंशदान	0.15	-	-	0.15	-
2	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0.03	-	-	-	0.03
3	जलवायु परिवर्तन - (एएफ़बी) – परियोजना तैयारी अनुदान	21.85	-	0.66	-	22.51
4	जीआईजेड मृदा परियोजना	1.41	-	-	1.41	-
5	केएफ़डब्ल्यू मृदा परियोजना	1.46	9.76	-	11.22	-
6	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	20.32	1.42	0.60	1.99	20.35
आ.	**अन्य निधियाँ**					
1	वाटरशेड विकास निधि	1,412.94	1.87	41.65	101.64	1,354.82
2	ब्याज विभेदक निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	223.43	-	-	-	223.43
3	ब्याज विभेदक निधि - टीएडब्ल्यूए	0.10	-	-	-	0.10
4	आदिवासी विकास निधि	5.77	-	-	-	5.77
5	जनजाति विकास निधि	1,173.23	2.90	34.14	123.68	1,086.59
6	वित्तीय समावेशन निधि (i)	3,152.34	249.16	92.75	302.47	3,191.78
7	पीओडीएफ़ - आईडी	259.98	-	7.40	43.73	223.65
8	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	67.78	0.82	-	-	68.60
9	आरपीएफ़ और आरआईएफ़ - कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	22.89	0.40	-	2.46	20.83
10	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन को ऑपरेटिव्ज - (सी-पेक)	3.50	-	0.27	-	3.77
11	एलटीआईएफ - ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	188.73	17.39	5.66	-	211.78
12	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि खाता	3.25	-	0.17	-	3.42
13	सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्षमता निर्माण निधि	9.40	0.50	-	0.53	9.37
14	जलवायु परिवर्तन निधि - आईडी (ii)	122.61	61.78	3.66	19.13	168.92
	कुल	**6,691.17**	**346.00**	**186.96**	**608.41**	**6,615.72**
	गत वर्ष	**6,711.28**	**569.42**	**188.68**	**778.21**	**6,691.17**

अनुसूची 18 का आ-25 देखें

(i) उक्त निधि में जमा किए गए ब्याज विभेदक पर आयकर के लिए प्रावधान शामिल है - ₹62.19 करोड़

(ii) उक्त में जमा किए गए ब्याज विभेदक पर आयकर के लिए प्रावध्यान शामिल है - ₹15.15 करोड़

अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा ब्याज#	वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन	31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि
अ	**सरकारी सब्सिडी योजनाएँ**					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी - एनएचबी	0.89	-	-	-	0.89
2	शीतगृह के लिए पूंजी सब्सिडी टीएम पूर्वोत्तर	0.08	-	-	-	0.08
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	0.90	0.11	-	-	1.01
4	फसल उत्पादन हेतु ऑनफार्म जल प्रबंधन	0.07	-	-	-	0.07
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78.98	-	-	-	78.98
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0.04	-	0.00*	-	0.04
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार	0.10	-	0.01	-	0.11
8	जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना	1.80	-	-	-	1.80
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.29	-	-	-	4.29
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	2.83	-	-	-	2.83
11	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	0.15	0.01	-	0.08	0.08
12	आईएसएएम - कृषि विपणन आधारभूत संरचना	451.47	171.81	-	611.69	11.59
13	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – पीवीसीएफ़ ईडीईजी	81.57	0.25	-	81.52	0.30
14	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	0.08	-	-	-	0.08
15	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदे	0.09	-	0.01	-	0.10
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बीएआईएफ़ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश	0.02	-	0.00*	-	0.02
17	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	11.64	1.70	-	12.09	1.25
18	सौर मिशन के लिए सीएसएस	0.03	0.00*	-	0.03	0.00*
19	सीएसएस - जेएनएनएसएम - सोलर लाइटिंग	2.76	-	-	2.76	-
20	सीएसएस - सोलर फोटोवोल्टेइक वाटर पंपिंग	0.03	-	-	0.03	-
21	पूंजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	4.62	7.80	-	12.32	0.10
22	सीएसएस - एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016	0.11	1.04	-	-	1.15
23	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण	4.62	-	-	-	4.62
24	एफ़पीओ के निर्माण एवं संवर्धन पर सीएसएस	0.67	0.25	-	0.92	-
आ	**अन्य सरकारी योजनाएँ**					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	283.71	0.23	-	-	283.94
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	6.23	-	-	5.02	1.21
3	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	5.19	600.64	0.88	606.53	0.18
4	एएमआई - कार्यशाला सहायता निधि	0.01	-	-	0.01	0.00*
5	कच्छ सूखा रोध परियोजना	0.22	-	-	-	0.22
6	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए पैकेज	20.00	-	-	-	20.00

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा ब्याज#	वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन	31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि
7	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुन:संरचना	4.11	-	-	0.02	4.09
8	ब्याज सहायता (एसएओ, एनआरएलएम, एनडबल्यूआर)	493.62	12,164.01	-	12,433.53	224.10
9	अरुणाचल कृषि स्टार्ट अप योजना	0.50	-	-	-	0.50
10	केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना - पैक्स का कंप्यूटरीकरण	44.93	44.06	1.12	72.63	17.48
11	एग्रीश्योर - भारत सरकार	-	62.50	-	-	62.50
	कुल	**1,506.36**	**13,054.41**	**2.02**	**13,839.18**	**723.61**
	गत वर्ष	**1,106.99**	**11,269.63**	**5.78**	**10,876.04**	**1,506.36**

#अनुसूची 18 का आ-25 देखें

* ₹50,000/- से कम राशि को दर्शाता है

अनुसूची 5 - जमाराशियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	केन्द्र सरकार	-	-
2	राज्य सरकारें	-	-
3	**अन्य**		
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	40.23	52.80
	ख) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	1,94,482.88	1,86,684.79
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	32,079.11	50,517.76
	घ) अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	7,023.74	15,157.91
	ङ) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	2,870.00	3,890.00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	38,945.49	45,174.81
	छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि	550.00	480.00
	कुल	**2,75,991.45**	**3,01,958.07**

अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	कर मुक्त बॉण्ड	5,000.00	5,000.00
2	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड	1,86,736.30	1,49,580.15
3	पीएमएवाई-जी - भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	48,809.60	48,809.60
4	बॉण्ड - एलटीआईएफ	38,160.25	38,160.25
5	एलटीआईएफ - भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	19,506.80	19,506.80
6	एसबीएम (जी) - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	12,298.20	12,298.20
7	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़) बॉण्ड	1,754.60	1,754.60
8	सोशल बॉण्ड	1,040.50	1,040.50
9	इन्फ्रा बॉण्ड	14,060.00	10,000.00
	कुल	**3,27,366.25**	**2,86,150.10**

अनुसूची 7 - उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	केंद्र सरकार	-	-
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	-	-
3	**अन्य**		
	(अ) भारत में		
	(i) जमा प्रमाण-पत्र	37,939.26	23,629.90
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	57,386.19	52,112.64
	(iii) त्रिपक्षीय रेपो	51,708.00	28,270.07
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	10.36	2,508.21
	(v) बैंकों से मीयादी ऋण	1,03,655.89	94,007.43
	(vi) जेएनएन सोलर मिशन	2.81	2.81
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ	517.99	551.52
	कुल	**2,51,220.50**	**2,01,082.58**

अनुसूची 8 - चालू देयताएँ और प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउंट	12,196.55	10,185.96
2	विविध लेनदार	3,278.44	3,374.62
3	सब्सिडी प्रारक्षित निधि (सह-वित्तपोषण, शीतगृह, सीएसएएमआई)	27.64	25.81
4	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखें)	19.52	10.47
5	पेंशन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखें)	434.85	126.64
6	साधारण छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखें)	392.00	378.50
7	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखें)	192.17	170.21
8	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-33 देखें)	667.17	318.17
9	बॉण्डों पर ब्याज - जिसका दावा नहीं किया गया	4.36	2.99
10	परिपक्व बॉण्ड - जिनका दावा नहीं किया गया	9.83	13.15
11	बॉण्ड प्रीमियम	80.97	50.12
12	प्रतिबद्धता प्रभार - अंतरराष्ट्रीय उधार	0.24	-
13	**प्रावधान और आकस्मिकताएँ**		
(क)	निवेश के मूल्य में ह्रास		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ		
	(iक) केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	1,033.42
	(iख) राजकोष बिल	-	-
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(iii) इक्विटी शेयर	-	-
	(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	12.04	19.46
	(v) सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
	(vi) अन्य	9.63	-
(ख)	परिपक्वता तक रखी गई प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन	6.28	147.16
(ग)	मानक आस्तियों हेतु	3,523.46	3,302.00
(घ)	अनर्जक निवेश	299.26	317.32
(ङ)	काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर/ फ्लोटिंग प्रोविजन	2,014.45	2,014.45
(च)	अन्य आस्तियों और प्राप्य राशियों हेतु प्रावधान	4.45	4.45
(छ)	आयकर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर को घटाकर) (वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अग्रिम कर ₹2,565 (₹2,140))	2,936.39	3,005.98
	कुल	**26,109.70**	**24,500.88**

नोट: अनर्जक अग्रिमों को अनुसूची-11 में दर्शाए गए अग्रिमों के समक्ष समायोजित किया गया है.

अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	हाथ में रोकड़	-	-
2	**निम्नलिखित के पास शेष :**		
	अ) भारत में बैंकों में		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक	6,568.72	3,561.58
	(ii) अन्य बैंक		
	क) चालू खाते में	4,437.74	3,747.24
	ख) बैंकों में जमा#	33,353.15	22,590.00
	(iii) मार्गस्थ विप्रेषण	-	-
	(आ) भारत से बाहर स्थित बैंक	-	-
3	**त्रिपक्षीय रेपो – ऋण वितरण**	999.31	7,455.32
	कुल	**45,358.92**	**37,354.14**

इसमें 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार बैंकों में ₹3,650.00 करोड़ की अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह या उससे कम की परिपक्वता वाली) शामिल हैं (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹1,300.00 करोड़)

अनुसूची 10 - निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	**सरकारी प्रतिभूतियाँ**		
	क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	53,060.25	34,497.72
	[अंकित मूल्य ₹5,21,76,90,80,000 (₹3,29,78,86,70,000)]		
	ख) ट्रेजरी बिल [अंकित मूल्य ₹1,14,99,23,50,000 (₹1,96,58,33,80,000)]	11,297.96	18,806.69
2	**अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ**		
3	**निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :**		
(क)	कृषि वित्त निगम लि.	1.00	1.00
	[1,000 (1,000) - प्रत्येक ₹10,000 के इक्विटी शेयर]		
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	966.27	966.27
	[5,31,92,203 (5,31,92,203) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	60.00	60.00
	[6,00,00,000 (6,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	0.30	0.30
	[3,77,758 (3,77,758) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(ङ)	नैशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि.	16.87	16.87
	[56,25,000 (56,25,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(च)	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड	9.75	9.75
	[55,000 (55,000) प्रत्येक ₹1000 के इक्विटी शेयर]		
(छ)	भारतीय कृषि कौशल परिषद्	0.00*	0.00*
	[4,000 (4000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
(ज)	नैशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेस लिमिटेड [इक्विटी]	1.50	1.50
	[15,00,000 (15,00,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(झ)	नैशनल ई-रेपोजीटरी लि.	10.53	10.53
	[105,30,000 (105,30,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(ञ)	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क	40.00	40.00
	[40,00,000 (10,00,000) प्रत्येक ₹100 के शेयर]		
(ट)	ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड	56.76	-
	[2,87,329 (निल) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(ठ)	24x7 मनीवर्क्स कन्सल्टींग प्राइवेट लिमिटेड	3.84	-
	[23,333 (निल) प्रत्येक ₹10 के शेयर]		
(ड)	अन्य इक्विटी निवेश	20.02	20.02
4	**डिबेंचर और बॉण्ड**		
(i)	रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-34 देखें)	65.19	134.06
(ii)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	852.99	826.12
5	**सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में शेयरधारिता**		
(क)	**सहायक कंपनियों में शेयरधारिता**		
(i)	नैबफिंस लि. (पूर्व में नाबार्ड फाईनैन्शियल सर्विसेज [कर्नाटक] लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)	102.01	102.01
	[10,20,06,300 (10,20,06,300] - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(ii)	नैबसमृद्धि फाइनांस लिमिटेड	145.06	145.06
	[11,27,88,000 (11,27,88,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(iii)	नैबकिसान फाइनांस लिमिटेड	227.57	227.57
	[15,05,00,063 (15,05,00,063) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(iv)	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	25.00	5.00
	[2.50,00,000 (50,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(v)	नैबवेंचर्स लि.	50.00	25.00
	[5,00,00,000 (2,50,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(vi)	नैबफाउंडेशन	50.00	50.00
	[5,00,00,000 (5,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(vii)	नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	50.00	50.00
	[5,00,00,000 (5,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]		
(ख)	**संयुक्त उद्यम**	-	-
6	**अन्य**		
(क)	म्यूचुअल फंड	6,602.32	5,293.40
(ख)	वाणिज्यिक पत्र	1,453.08	185.05
	[अंकित मूल्य ₹15,00,00,00,000 (₹200,00,00,000)		
(ग)	जमाराशि प्रमाण-पत्र	16,100.04	7,900.10
	[अंकित मूल्य ₹ 1,64,50,00,00,000.00 (₹79,70,00,00,000)		
(घ)	उद्यम पूँजी निधियाँ/ एआईएफ़	536.04	414.51
(ङ)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश [अनुसूची 18 का नोट आ-21.2 देखें]	10.95	39.26
(च)	आधारभूत संरचना निवेश न्यास (InvITs)	2.00	-
	कुल	91,817.30	69,827.79

*₹50,000/- से कम की राशि को दर्शाते हैं.

अनुसूची 11 - अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	**पुनर्वित्त ऋण**		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	1,69,224.53	1,58,705.71
(ख)	**अन्य निवेश ऋण**		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	2,52,632.27	2,68,113.97
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	27,767.64	20,504.10
2	**प्रत्यक्ष ऋण**		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण	1,84,724.16	1,70,006.64
(ख)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	2,581.85	3,385.86
(ग)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	295.89	331.85
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	40,879.33	32,403.74
(ङ)	उत्पादक संगठन के लिए ऋण	0.14	0.53
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	41,676.56	20,583.03
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	386.48	431.38
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	51,803.83	53,617.32
(झ)	प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण	48,819.03	48,819.03
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	12,298.20	12,298.20
(ट)	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	1,366.81	1,508.16
(ठ)	जीसीएफ़ के अंतर्गत ऋण	517.99	551.52
(ड)	सूक्ष्म सिंचाई निधि	2,871.83	3,036.88
(ढ)	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि	1,141.38	801.50
(ण)	ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता योजना (आरआईएएस)	65.16	-
(त)	**अन्य ऋण:**		
(i)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	1.66	3.69
(ii)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम के अंतर्गत ऋण	-	0.73
(iii)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.29	0.46
	कुल	**8,39,055.03**	**7,95,104.30**

नोट: ₹2,005.32 करोड़ की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिम (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹1,983.25 करोड़).

अनुसूची 12 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 कई स्थिति
1	भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-31 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	195.79	195.79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	-	-
	उप-जोड़	195.79	195.79
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	195.79	195.79
	घटाएँ : लीज प्रीमियम का परिशोधन	67.16	65.70
	बही मूल्य	**128.63**	**130.09**
2	परिसर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-31 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	659.20	652.24
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	9.27	6.96
	उप-जोड़	668.47	659.20
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	668.47	659.20
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	374.03	350.27
	बही मूल्य	**294.44**	**308.93**
3	फर्नीचर और फिक्सचर्स		
	प्रारंभिक शेष	67.23	66.70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	0.67	0.72
	उप-जोड़	67.90	67.42
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0.18	0.19
	इति शेष (लागत पर)	67.72	67.23
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	63.77	61.62
	बही मूल्य	**3.95**	**5.61**
4	कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण		
	प्रारंभिक शेष	248.72	216.45
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	34.69	34.34
	उप-जोड़	283.41	250.79
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	6.57	2.07
	इति शेष (लागत पर)	276.84	248.72
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	229.07	210.35
	बही मूल्य	**47.77**	**38.37**
5	वाहन		
	प्रारंभिक शेष	14.84	13.30
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	6.99	6.06
	उप-जोड़	21.83	19.36
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	5.86	4.52
	इति शेष (लागत पर)	15.97	14.84
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	5.97	5.93
	बही मूल्य	**10.00**	**8.91**
6	जारी पूंजीगत कार्य (जिसमें परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर तथा सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन शामिल है)	75.12	56.93
	कुल	559.91	548.84

नोट: अब तक के मूल्यह्रास में प्रारंभिक मूल्यह्रास, परिवर्धन और बिक्री पर मूल्यह्रास तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष का मूल्यह्रास शामिल है

अनुसूची 13 - अन्य आस्तियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	उपचित ब्याज	6,006.03	5,564.26
2	प्राप्य डिस्काउंट	-	294.78
3	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1.56	1.39
4	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	54.21	54.14
5	स्टाफ को आवास ऋण	188.47	142.55
6	स्टाफ को अन्य अग्रिम	96.13	95.00
7	विविध अग्रिम	83.83	75.04
8	आस्थगित कर आस्तियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.5 देखें)	113.95	190.23
9	भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्य राशियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ - 26 और आ - 28 देखें)	1,193.46	1,486.25
10	बॉण्ड के निर्गम पर डिस्काउंट	94.98	121.42
11	अन्य आस्तियां - इनपुट टैक्स क्रेडिट - जीएसटी	7.16	2.43
	कुल	7,839.78	8,027.49

अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	**निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज**		
(क)	आरआईडीएफ़ के अंतर्गत जमाराशियाँ	6,752.89	6,042.03
(ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	1,975.77	2,169.93
(ग)	अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	574.67	653.48
(घ)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	105.27	121.11
(ङ)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1,599.15	1,440.00
(च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	19.69	15.55
(छ)	चाय/ कॉफी/ रबड़ जमाराशियाँ	2.35	2.82
(ज)	मीयादी मुद्रा उधार	39.73	112.97
(झ)	बॉण्ड (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-28 और 36 देखें)	21,322.39	16,367.23
(ञ)	बैंकों से प्राप्त मीयादी ऋण	6,153.59	5,280.67
(ट)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	6.20	16.28
(ठ)	वाणिज्यिक पत्र पर डिस्काउंट	2,506.68	2,182.71
(ड)	जमा प्रमाण-पत्र पर डिस्काउंट	2,020.56	1,620.20
(ढ)	रेपो ब्याज व्यय	10.58	14.50
(ण)	निधियों पर अदा किया गया ब्याज	186.82	187.09
(त)	अल्पावधि जमाराशियों के समक्ष उधार	-	3.18
(थ)	प्रतिबद्धता शुल्क - अंतरराष्ट्रीय उधार	0.24	-
2	सीबीएलओ/ टीआरईपीएस पर डिस्काउंट	1,505.68	606.16
3	बॉण्ड और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, ब्रोकरेज, कमीशन और निर्गम व्यय	60.95	52.81
4	स्वैप प्रभार	17.96	24.12
	कुल	44,861.17	36,912.84

अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-33 देखें)	1,248.87	1,360.80
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान/ उनके लिए प्रावधान	822.17	1,298.04
3	अन्य अनुलाभ और भत्ते	310.37	227.03
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते	0.20	0.21
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.27	0.31
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	44.79	41.70
7	यात्रा व्यय	64.24	56.49
8	मुद्रण और लेखन सामाग्री	7.04	6.16
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	31.07	23.49
10	मरम्मत	18.76	16.88
11	लेखापरीक्षकों की फीस	0.34	0.26
12	विधिक प्रभार	2.41	2.15
13	विविध व्यय	274.32	217.20
14	विविध आस्तियों पर व्यय	12.93	9.20
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	115.00	105.32
	कुल	**2,952.78**	**3,365.24**

अनुसूची 15 आ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	सहकारिता विकास निधि	54.55	33.29
2	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
3	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
4	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत व्यय	34.28	28.27
5	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	-	0.39
6	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
7	उत्प्रेरक पूंजी निधि	2.52	2.94
8	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	0.10	0.59
	कुल	**152.61**	**136.02**

अनुसूची 16 - प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24
	निम्नलिखित के लिए प्रावधान		
1	मानक आस्तियाँ	221.46	370.00
2	अनर्जक आस्तियाँ	33.49	(67.97)
3	निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - इक्विटी	(8.50)	14.78
	कुल	**246.45**	**316.81**

अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएँ (अग्रिम को घटाकर)	68.12	37.34
	उप जोड़ "अ"	**68.12**	**37.34**
2	आकस्मिक देयताएँ		
(i)	बैंक गारंटी	2.16	24.18
(ii)	लंबित विधिक मामले (आयकर अपीलों सहित)	415.00	416.17
	उप जोड़ "आ"	417.16	440.35
	कुल (अ + आ)	**485.28**	**477.69**

अनुसूची 18

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पणियाँ

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखे तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्त्वपूर्ण पहलुओं; भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों (एएस) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है. उन मामलों को छोड़कर जहाँ अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक/ नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियाँ पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं.

2. अनुमानों का उपयोग:

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन ऐसी बातें मान कर चले और ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिर्पोटिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं. यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, तथापि वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. इन भिन्नताओं का निर्धारण उस वर्ष में दर्शाया जाता है जब ये परिणाम प्राप्त होते हैं.

3. राजस्व निर्धारण:

3.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है:

- i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.
- ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.
- iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.
- iv) किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई में ₹10,000 तक के व्यय.

3.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की डिस्काउंट राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. बॉण्ड के निर्गम से संबंधित व्ययों, लागू स्टांप शुल्क सहित, को बॉण्ड के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

3.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

3.4 i) उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है.

ii) जिस सब्सिडी के लिए नाबार्ड पास-थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, उस सब्सिडी और उस पर सेवा शुल्क का लेखांकन संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी के आधार पर किया गया है.

3.5 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

- i) दंडात्मक ब्याज
- ii) लागत और प्रभार
- iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज
- iv) मूलधन

3.6 समझौता और समाधान/ निपटान के मामले में, वसूली को संबंधित समझौता/ समाधान, निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया गया है.

3.7 जिन खातों के लिए वाद दायर किए गए हैं/ डिक्री प्राप्त हुई है उनके संबंध में, वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया गया:-

- i) संबंधित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार.
- ii) न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के न होने की स्थिति में, उपर्युक्त बिन्दु 3.5 के अनुसार.

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

4.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटाकर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है. आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं. विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूँजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है.

4.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है.

4.3 परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है.

4.4 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यह्रास की नीति में संशोधन किया गया है और 30 वर्षों की अवधि के लिए मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गई है.

4.5 पट्टे पर ली गई भूमि पर भुगतान किए गए अपफ्रंट लीज प्रीमियम को लीज की अवधि में 5% की दर से प्रारंभिक अवलिखित मूल्य पर या लीज की शेष

अवधि पर शेष लीज प्रीमियम की आनुपातिक राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिशोधित किया गया है.

4.6 ₹1 लाख और उससे कम लागत की प्रत्येक अचल आस्ति (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को छोड़कर) को उसके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है. आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को तभी पूँजीकृत किया गया है जब प्रत्येक मद की लागत ₹10,000 से अधिक है. ₹1 लाख और उससे कम लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ हानि खाते में लिया गया है.

4.7 अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित्त की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया गया है :

आस्तियों के प्रकार	*मूल्यह्रास की दर*
फर्नीचर और फिक्सचर्स	20%
कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

4.8 आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना उस माह से की जाती है जिस माह से वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्ति को पूँजीकृत किया जाता है और यह गणना उस माह तक की अवधि के लिए की जाती है जब तक उस आस्ति की बिक्री नहीं हो जाती.

4.9 चल रहे पूँजीगत कार्य में पूँजी अग्रिम शामिल है और इसे अचल संपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

5. निवेश

5.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान तिथि" पर दर्ज किए जाते हैं.

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)", "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)" श्रेणियों (जिन्हें आगे "श्रेणियाँ" कहा गया है) में वर्गीकृत किया गया है.

5.3 जो प्रतिभूतियाँ मुख्यत: क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित की जाती हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

5.4 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत जिन निवेशों की लागत अंकित मूल्य के समान या कम है उन्हे अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है. यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है. "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने की स्थिति में, अस्थाई कमी को छोड़कर, यथावश्यक प्रावधान किया गया है. यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आती है/ परिशोधन हुआ है तो इसके लिए प्रावधानों को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है.

5.5 "एचटीएम" के तहत वर्गीकृत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है.

5.6 "एएफएस" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार मार्क किया गया है. यदि कोई निवल मूल्यह्रास है, तो "एएफएस" के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

5.7 "एचएफटी" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि., एएमएफआई आदि द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार मार्क किया गया है. निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को "एचएफटी» के रूप में वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

5.8 सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

5.9 ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन धारिता लागत पर किया गया है.

5.10 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उन कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं, तो कोट न किए गए शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया गया है या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार अथवा ₹1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है.

5.11 असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई ब्रोकरेज, कमीशन आदि की राशि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है.

5.12 शेयर बाज़ार में खरीदी/ बेची गई इक्विटियों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई ब्रोकरेज की राशि को पूंजीकृत किया गया है.

5.13 ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किए गए/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री की गणना में शामिल नहीं किया गया है.

5.14

क्र. सं.	*मौजूदा श्रेणी*	*प्रस्तावित श्रेणी*	*लेखांकन नीति*
1.	एएफएस/ एचटीएफ	एचटीएम	बही मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो. ऐसे मामलों में जहाँ बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है, उनमें प्रतिभूति के समक्ष धारण किए गए मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (जिसमें, आवश्यकता होने पर, अंतरण की तिथि पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल होगा) समायोजित कर बही मूल्य को बाजार मूल्य तक घटाया जाएगा और प्रतिभूति का अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाएगा.
2.	एचटीएम	एएफएस/ एचएफटी	बही मूल्य / परिशोधित लागत पर अंतरण. ऐसी प्रतिभूतियों का, अंतरण के फलस्वरूप तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाएगा.

क्र. सं.	मौजूदा श्रेणी	प्रस्तावित श्रेणी	लेखांकन नीति
3.	एएफएस/ एचएफटी	एचएफटी/ एएफएस	बही मूल्य पर अंतरण. अंतरण की तिथि पर प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, और संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया गया हो, तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के समक्ष मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में अंतरित किया जाएगा और इसके विपरीत भी किया जा सकता है.

5.15 सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

5.16 निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है.

5.17 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश का लेखांकन संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है.

5.18 भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप निवेश एनपीआई वर्गीकरण के लिए आय के उचित प्रावधान/आय की अमान्यता के अधीन हैं. अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि के समक्ष समायोजित नहीं किए जाते हैं.

यदि किसी कंपनी/ संस्था द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की लेखा-बहियों में एनपीए है, तो उस कंपनी/संस्था द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई और उसके विपरीत माना जाएगा.

प्रतिभूतियों, अर्थात् बांड, डिबेंचर आदि के मामले में जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहाँ वाईटीएम या आईआरएसी, इनमें से जो भी अधिक हो, मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया गया है.

5.19 रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों की गणना संपार्श्विकयुक्त उधार और उधार लेनदेन के रूप में की जाती है. तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद की जाती है और ऐसी प्रतिभूतियों को रेपो/रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों के माध्यम से दर्शाया जाता है. परिपक्वता की तिथि को उपर्युक्त प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन कर दिया जाता है. लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में की जाती है.

5.20 डेरिवेटिव लेनदेन हेजिंग उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं.

हेज स्वैप

हेज ब्याज वाली आस्ति या देयता के साथ ब्याज दर स्वैप को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. ऐसी आस्ति या देयता से जुड़े स्वैप को छोड़कर, जिसका वहन बाज़ार मूल्य पर या लागत से कम मूल्य पर किया गया हो. स्वैप की समाप्ति पर स्वैप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर लाभ और हानि का निर्धारण किया जाता है.

6. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

6.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रावधानन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है.

6.2 अग्रिमों की पुन:संरचना/ पुन:अनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है.

6.3 अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया गया है.

6.4 निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में, अनर्जक ऋणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है.

6.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए पर किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. इन प्रावधानों को तुलन-पत्र की अनुसूची 8 में «वर्तमान देयता और प्रावधान» शीर्ष के तहत दर्शाया गया है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है.

7. विदेशी मुद्रा लेनदेन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखा मानक (एएस-11) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेन-देनों का लेखांकन निम्नानुसार किया गया है:

7.1 रिपोर्टिंग की तिथि/ वर्ष के अंत में एफईडीएआई/ एफबीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का पुन: मूल्यांकन किया गया है. विदेशी मुद्रा उधार के हेज किए गए भाग को संविदाकृत मूल्य पर उल्लिखित किया गया है. वर्ष की समाप्ति पर विद्यमान विनिमय दर के अनुसार हेज किए गए उधार की देयता को तुलन-पत्र में कॉन्ट्रा मद (तुलन-पत्र से इतर मद) के रूप में दर्शाया गया है.

7.2 हेज लेनदेन हेतु, आय और व्यय मदों को निष्पादित हेज करार के अनुसार अनुबंधित दर पर परिवर्तित किया गया है.

8. विदेशी विनिमय संविदाओं का लेखांकन

8.1 विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएँ विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती को हेज करने के लिए की गई हैं.

8.2 हेज किए गए विदेशी मुद्रा उधारों का उल्लेख संविदागत दर पर किया गया है.

8.3 हेज न की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को एफईडीएआई/ एफ़बीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर वर्ष के अंत में/ रिपोर्टिंग तिथि पर पुन: मूल्यांकित किया गया है. पुन: मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अभिलाभ/ घाटे का निर्धारण लाभ और हानि खाता में "वायदा विनिमय संविदा लेखा के पुन:मूल्यांकन पर प्राप्त अभिलाभ/ घाटा" शीर्ष के अंतर्गत किया गया है.

9. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिज़र्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिकों को बैंक का कर्मचारी माना गया है और तदनुसार कर्मचारी लाभ के प्रावधान किए गए हैं. प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए यथावश्यक रूप से बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है.

9.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि का निर्धारण उसी अवधि के लिए किया गया है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं.

9.2 सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ:

i) **परिभाषित अंशदान योजना**

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं. बैंक ने पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई "एनपीएस - कार्पोरेट सेक्टर मॉडल" को अपनाया है. निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है.

ii) **परिभाषित लाभ योजना**

क. बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया जाता है जो सभी पात्र कर्मचारियों के लिए अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है. योजना के लिए बैंक द्वारा निधि प्रदान की जाती है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.

ख. 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है. इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंध एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.

iii) **अन्य दीर्घावधि लाभ**

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी पारिश्रमिक के साथ अनुपस्थितियों के लिए पात्र हैं. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं. अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति से आकलित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. बीमांकिक अभिलाभ या घाटे को लाभ और हानि लेखा में उपचय के आधार पर दर्शाया जाता है.

10. आय पर कर

10.1 चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप कर योग्य कर आय और कर जमाओं के साथ-साथ आकलनों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है.

10.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के रूप में की गई है और इस राशि की गणना तुलन-पत्र की तारीख को लागू कर की दरों और अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर की गई है.

10.3 अनवशोषित मूल्यह्रास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहाँ यह लगभग निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.

10.4 निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर अदा/ प्रावधान किए गए करों की गणना संबंधित निधियों के व्यय के रूप में की गई है.

11. खंड रिपोर्टिंग

11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय खंड को रिपोर्टिंग का प्राथमिक खंड मानता है.

11.2 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल है. जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उसे "अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय" में शामिल किया गया है.

11.3 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित हैं/ किसी खंड को आबंटन-योग्य हैं, उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको "अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय" में शामिल किया गया है.

11.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं. आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में वे आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं जो संपूर्ण बैंक से संबंधित हैं और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता.

12. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

12.1 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि:

i) यदि क्षतिग्रस्ततताजन्य कोई हानि हुई हो, तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान; अथवा

ii) पिछली अवधियों में यथानिर्धारित क्षतिग्रस्ततताजन्य हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन किया जा सके.

12.2 क्षतिग्रस्ततताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस-29)

13.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन वास्तविक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके यदि:

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक की कोई वर्तमान देयता है;

ख) देयता के निस्तारण हेतु संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है; और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

13.2 आकस्मिक देयता को निम्न मामलों में प्रकट किया गया है:

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता, जब इसकी संभावना नहीं हो कि उस देयता को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी,

ख) कोई वर्तमान देयता, जब विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं हो, और

ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता जहाँ संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना नगण्य हो.

13.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो निर्धारित किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

13.4 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है.

14. नकदी और नकदी समतुल्य

क) नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं.

ख) नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष पद्धति से की जाती है. उपलब्ध सूचना के आधार पर परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.

15. पूर्व अवधि की आय/ व्यय

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मदों को केवल तभी अलग से प्रकट किया गया है जब एकल पूर्व अवधि आय/ व्यय सकल आय के 0.5% से ज्यादा हो.

16. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (भारतीय लेखा मानक)

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के अनुसार बैंक को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए भारतीय लेखा मानकों पर आधारित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित होता है, तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त और उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक विवरण अपेक्षित है. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

आ. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. पूँजी

1.1 **तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार पूँजीगत अंशदान का स्वरूप:**

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की प्राधिकृत पूँजी ₹30000 करोड़ थी. बैंक की कुल चुकता पूँजी भारत सरकार द्वारा अभिदत्त की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है :

अंशदानकर्ता	*2024-25*		*2023-24*	
	(₹ करोड़)	*%*	*(₹ करोड़)*	*%*
भारत सरकार	17,080.00	100.00	17,080.00	100.00
कुल	**17,080.00**	**100.00**	**17,080.00**	**100.00**

1.2 **पूँजी पर्याप्तता**

1.2.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 21 सितंबर 2023 के (बेसल III पूँजी फ्रेमवर्क, एक्सपोज़र मानदंडों, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों के परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन संग्रहण के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियम) निर्देश, 2023 के अनुसार की जाती है.

1.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9% के समक्ष 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 25.58% (बेसल III) (16.45% बेसल I) था.

1.2.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण - दीर्घावधि परिचालन (एनआरसी-एलटीओ) निधि से वित्तपोषित ₹14505 करोड़ (₹14503 करोड़) की आस्तियों को सीआरएआर की गणना के प्रयोजन से बाहर रखा गया है.

1.2.4 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के विभिन्न मानदंडों का विवरण नीचे दिया गया है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25 (बेसल III के अनुसार)*	*2023-24 (बेसल I के अनुसार)*
(i)	सामान्य इक्विटी	75530.63	69611.39
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0.00	0.00
(iii)	कुल टियर 1 पूंजी (i + ii)	75530.63	69611.39
(iv)	टियर 2 पूंजी	3008.33	5398.41
(v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	78538.96	75009.80
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	307015.65	456057.89
(vii)	सामान्य इक्विटी अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी)	24.60	15.27
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	24.60	15.27
(ix)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	25.58	16.45
(x)	एआईएफ़आई में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100.00	100.00
(xi)	एकत्र की गई इक्विटी पूंजी की राशि	0.00	0.00
(xii)	एकत्र की गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से	0.00	0.00
	(क) स्थायी असंचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस) :	0.00	0.00
	(ख) स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	0.00	0.00
(xiii)	एकत्र की गई टियर 2 पूंजी की राशि: जिसमें से	0.00	0.00
	(क) ऋण पूंजी लिखत:	0.00	0.00
	(ख) स्थायी संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस)	0.00	0.00
	(ग) मोचन-योग्य असंचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस)	0.00	0.00
	(घ) मोचन-योग्य संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस)	0.00	0.00

2. निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ और प्रावधान

2.1 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	221.46	370.00

2.2 प्रतिचक्रीय प्रावधानन बफ़र:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(क)	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	2014.45	2014.45
(ख)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की प्रमात्रा#	0.00	0.00
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान आहरित राशि	0.00	0.00
(घ)	अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	2014.45	2014.45

बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अस्थायी प्रावधान करने का निर्णय लिया है ताकि किसी असाधारण अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जा सके.

3. आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

3.1 अनर्जक अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	**निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)**	0.00	0.00
(ii)	**अनर्जक अग्रिमों में उतार-चढ़ाव (सकल)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	1983.29	2041.78
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	34.09	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	(12.04)	(58.49)
(घ)	इति शेष	2005.34	1983.29
(iii)	निवल अनर्जक अग्रिमों में उतार-चढ़ाव		
(क)	प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	**निवल अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	1983.29	2041.78
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	34.09	0.00
(ग)	अधिक प्रावधान का अपलेखन/ प्रतिलेखन	(12.04)	(58.49)
(घ)	इति शेष	2005.34	1983.29

3.2 अनर्जक निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	**निवल निवेश की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)**	**0.00**	**0.00**
(ii)	**अनर्जक निवेश में उतार-चढ़ाव (सकल)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	317.32	326.80
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	2.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	(20.06)	(9.48)
(घ)	इति शेष	299.26	317.32
(iii)	**निवल अनर्जक निवेश में उतार-चढ़ाव**		
(क)	प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	**निवल अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	317.32	326.80
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2.00	0.00
(ग)	अधिक प्रावधान का अपलेखन/ प्रतिलेखन	(20.06)	(9.48)
(घ)	इति शेष	299.26	317.32

3.3 अनर्जक आस्तियाँ (3.1+3.2)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	**निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिम + निवेश) (%)**	**0.00**	**0.00**
(ii)	**अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	2300.61	2368.58
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	36.09	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	(32.11)	(67.97)
(घ)	इति शेष	2304.59	2300.61
(iii)	**निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव**		
(क)	प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	**अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान के अलावा)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	2300.61	2368.58
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	36.09	0.00
(ग)	अधिक प्रावधान का अपलेखन/ प्रतिलेखन	(32.11)	(67.97)
(घ)	इति शेष	2304.59	2300.61

3.4 **पुन:संरचित खातों के विवरण**

चालू वित्तीय वर्ष में दो ऋण खातों को पुन:संरचित किया गया.

	पुन:संरचना का प्रकार		*सीडीआर प्रणाली में*					*एसएमई*
	आस्ति वर्गीकरण		*मानक*	*अवमानक*	*संदिग्ध*	*हानि*	*कुल*	*मानक*
	विवरण							
1	01 अप्रैल 2024 को पुन:संरचित खातों की स्थिति	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						
2	वर्ष के दौरान नई पुन:संरचना/ अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						
4	पुन:संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम भार आवश्यक नहीं रहा और इसलिए जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुन: संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाना आवश्यक नहीं रहा	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित खातों का अपलेखन/ वसूली	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						
7	31 मार्च 2025 की स्थिति में पुन: संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.						
		बकाया राशि						
		प्रावधान *						

* प्रावधान में सामान्य मानक आस्ति प्रावधान और पुन:संरचना के कारण अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं.

(राशि ₹ करोड़ में)

ऋण पुन:संरचना प्रणाली में				अन्य					कुल				
अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
				7	0	2	0	9	7	0	2	0	9
				220.97	0.00	14.23	0.00	235.20	220.97	0.00	14.23	0.00	235.20
				12.04	0.00	14.23	0.00	26.27	12.04	0.00	14.23	0.00	26.27
				3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
				999.13	0	0	0	999.13	999.13	0	0	0	999.13
				45.96	0	0	0	45.96	45.96	0	0	0	45.96
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
				108.92	0	0	0	108.92	108.92	0	0	0	108.92
				5.45	0	0	0	5.45	5.45	0	0	0	5.45
				0	2	0	0	2	0	2	0	0	2
				0	24.32	0	0	24.32	0	24.32	0	0	24.32
				0	24.32	0	0	24.32	0	24.32	0	0	24.32
				5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
				41.59	0	0	0	41.59	41.59	0	0	0	41.59
				3.08	0	0	0	3.08	3.08	0	0	0	3.08
				5	2	2	0	9	5	2	2	0	9
				1045.26	24.32	14.23	0	1083.81	1045.26	24.32	14.23	0	1083.81
				52.26	24.32	14.23	0	90.81	52.26	24.32	14.23	0	90.81

3.5 दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना से संबंधित योजना के लिए ऋण (एस4ए)

वर्ष 2016-17 के दौरान, दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना से संबंधित योजना के अंतर्गत ₹46.91 करोड़ के दबावग्रस्त ऋण खाते की समाधान योजना पर विचार किया गया. समाधान योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
भाग - अ		
(i) बकाया ऋण	0.00	0.00
भाग - आ		
(i) इक्विटी शेयर	0.00	0.00
(ii) वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर	26.74	28.87
कुल	26.74	28.87

यह खाता अभी भी एनपीआई में है और एस4ए दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया राशि पर 100% का प्रावधान किया गया है.

3.6 अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	01 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियाँ	1983.29	2041.78
(ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)	34.09	0.00
	उप-जोड़ (अ)	**2017.38**	**2041.78**
घटाएँ:			
(i)	उन्नयन	0.00	0.00
(ii)	वसूली (उन्नयन किए गए खातों से हुई वसूली को छोड़कर)	0.44	58.37
(iii)	तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	0.00	0.00
(iv)	उपर्युक्त (iii) से इतर अपलेखन	11.60	0.12
	उप-जोड़ (आ)	**12.04**	**58.49**
31 मार्च की स्थिति में सकल अनर्जक आस्तियाँ (अ-आ)		2005.34	1983.29

3.7 अपलेखन और वसूली

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
01 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलिखित खातों का प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	0.00	0.00
उप-जोड़ (अ)	0.00	0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलिखित खातों से हुई वसूली (आ)	0.00	0.00
31 मार्च को इति शेष (अ-आ)	0.00	0.00

नोट: तकनीकी या विवेकपूर्ण अपलेखन की राशि अनर्जक ऋणों की वह राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया है लेकिन जिन्हें प्रधान कार्यालय स्तर पर अपलिखित (पूर्णतः या अंशतः) कर दिया गया है.

3.8 विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
कुल आस्तियाँ	0.00	0.00
कुल अनर्जक आस्तियाँ	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.00	0.00

3.9 मूल्यह्रास और निवेशों के लिए प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(1)	**निवेश**		
(i)	सकल निवेश *		
	(क) भारत में	91752.11	69693.73
	(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान *		
	(क) भारत में	299.26#	317.32
	(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(iii)	निवल निवेश *		
	(क) भारत में	91446.57	69376.41
	(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(2)	**निवेश के मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**		
(i)	प्रारंभिक शेष	317.32	326.80
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2.00	0.00
(iii)	वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई हो	0.00	0.00
(iv)	घटाएँ: वर्ष के दौरान अपलिखित/ प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान	(20.06)	(9.48)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(v)	घटाएँ: निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित खाते से अंतरण, यदि कोई हो	0.00	0.00
(vi)	इति शेष	299.26	317.32

* इन आंकड़ों में रासकृग्राविं बैंकों के विशेष विकास डिबेंचरों में किया गया निवेश शामिल नहीं है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 दिसंबर 2023 के परिपत्र सं. आरबीआई/ 2023-24/ 90 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.58/ 21.04.048/ 2023-24 के अनुसार वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ़) में निवेश और उसके बाद के दिनांक 27 मार्च 2024 के परिपत्र सं. आरबीआई/ 2023-24/ 140 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/ 21.04.048/ 2023-24 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹ 6.28 करोड़ के प्रावधान किए गए थे. साथ ही, बैंक ने प्रभाव का पुन: आकलन किया है और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रावधान अपेक्षित नहीं है.

4. (क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास गिरवी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यापार खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	237.00 (237.00)	237.69 (237.69)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो)	56100.51 (39131.28)	68247.12 (39250.46)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ) – डिफ़ॉल्ट निधि	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो) - डिफ़ॉल्ट निधि	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में इंट्राडे सीमा के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
इंट्राडे सीमा के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	5168.17 (527.00)	5396.34 (545.54)

5. प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	लाभ और हानि लेखा में व्यय शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधान और आकस्मिकताएँ	2024-25	2023-24
1	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(8.50)	14.78
2	अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान (अग्रिम + निवेश)	24.99	(67.97)
3	आयकर के लिए प्रावधान	2450.00	1,990.00

6. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

चालू वर्ष के कारोबार की समाप्ति तक पीसीआर [प्रावधानों (इसमें अनुसूची-18 के नोट सं. 2.2 के अनुसार प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर शामिल है) में सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात] 187.41% (187.56%) रहा.

7. **निवेश पोर्टफोलियो: संघटन और परिचालन**

7.1 **रेपो लेनदेन**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	103.64 (1277.38)	4896.21 (5141.30)	154.95 (215.29)	4896.21 (0.00)
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

7.2 **ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संघटन का प्रकटन***

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	*जारीकर्ता*	*राशि*	*निजी प्लेसमेंट की सीमा*	*'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा*	*रेट न की गई प्रतिभूतियों की सीमा*	*'अनलिस्टेड' प्रतिभूतियों की सीमा*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
(i)	पीएसयू	230.50 (155.55)	230.50 (155.55)	–	-	-
(ii)	सरकार	64358.21 (53304.41)	64358.21 (53304.41)			
(iii)	वित्तीय संस्थाएँ	4170.15 (619.97)	4170.15 (619.97)	–	–	–
(iv)	बैंक	13197.93 (7280.13)	13197.93 (7280.13)	–	–	–
(v)	निजी कॉरपोरेट	807.53 (855.62)	807.53 (855.62)	–	–	–
(vi)	सहायक संस्थाएँ/ संयुक्त वेंचर	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	–	–	–
(vii)	अन्य	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	–	–	–
(vii)	मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(297.26) (317.32)	(297.26) (317.32)	–	–	–
	कुल	82467.06 (61898.36)	82467.06 (61898.36)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

* ऋण प्रतिभूतियों में ट्रेजरी बिल, अपरिवर्तनीय डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र आदि सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं जिन्हें बही मूल्य पर दर्शाया गया.

7.3 **एचटीएम श्रेणी से/ में बिक्री और अंतरण**

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों को एएफएस से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरित किया गया, जिसका बही मूल्य ₹561.69 करोड़ (अंकित मूल्य ₹510.00 करोड़) था और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को एएफएस से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरित किया गया, जिसका बही मूल्य ₹4017.55 करोड़ (अंकित मूल्य ₹3580.68 करोड़) था.

31 मार्च 2025 को ₹15454.21 करोड़ के बही मूल्य के समक्ष परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत नाबार्ड के पास उपलब्ध कुल निवेश का बाज़ार मूल्य ₹17139.62 करोड़ था.

7.4 उद्यम पूँजी निधि में निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 सितंबर 2023 के (बेसल III कैपिटल फ्रेमवर्क, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों के संचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियम) निर्देश, 2023 के अनुसार, वीसीएफ की इकाइयों में निवेश की गई ₹20.98 करोड़ (₹31.84 करोड़) की राशि को 3 वर्ष पूरे होने पर एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया.

8. खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

8.1 **आस्ति पुन:संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुन:संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा**

अ. बिक्री का ब्यौरा: शून्य

आ. प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का ब्यौरा: शून्य

8.2 **खरीदी/ बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा**

अ. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा: शून्य

आ. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा: शून्य

9. परिचालनगत परिणाम

क्रम. सं.	*विवरण*	*2024-25*	*2023-24*
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.60	6.14
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.02	0.01
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.18	1.06
(iv)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)*	2.41	1.92

* गणना के प्रयोजनार्थ औसत कर्मचारियों को ध्यान में रखा गया है.

10. ऋण संकेंद्रण जोखिम

10.1 **पूंजी बाजार एक्सपोज़र**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी समूह निधि को पूरी तरह से कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है. $$	1936.47	1730.88
2	शेयर/ बॉण्ड/ डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा व्यक्तियों को क्लीन बेसिस पर शेयर में निवेश के लिए (आईपीओ/ ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाइयों के समक्ष अग्रिम;	0.00	0.00
3	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉन्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	0.00	0.00
4	किसी अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाई द्वारा प्रतिभूत सीमा तक अग्रिम, अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: कवर नहीं करती.	0.00	0.00
5	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूतियुक्त और बिना प्रतिभूति के अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केटमेकरों की ओर से जारी गारंटियाँ;	0.00	0.00
6	शेयर/ बॉण्ड/ डिबेंचर की प्रतिभूति अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा क्लीन वेसिस पर नई कंपनियों के संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेटों को स्वीकृत ऋण;	0.00	0.00
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज लोन;	0.00	0.00
8	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाईयों को प्राथमिक निर्गमों के संदर्भ में एआईएफआई द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
9	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण;	0.00	0.00
10	उद्यम पूंजी निधियों को लिए सभी एक्सपोज़र (पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों)	536.04	414.51
पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर		**2472.51**	**2145.39**

$$ इक्विटी शेयर, सहायक संस्थाएँ और अन्य रणनीतिक निवेश

10.2 **देश जोखिम में एक्सपोजर :** शून्य

11. विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाएँ - एआईएफ़आई द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल)/ समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक एक्सपोज़र

11.1 वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाओं से अधिक एक्सपोजर की संख्या और राशि: शून्य

11.2 पूंजी निधियों के प्रतिशत और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोज़र.

(प्रतिशत में)

क्रम. सं.	श्रेणी	2024-25		2023-24	
		% के रूप में ऋण एक्सपोजर		% के रूप में ऋण एक्सपोजर	
		पूंजीगत निधियाँ	कुल आस्तियाँ	पूंजीगत निधियाँ	कुल आस्तियाँ
I	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	62.16	4.96	65.08	5.36
II	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	शून्य		शून्य	
III	वर्ष के बीस सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	516.20	41.17	560.16	46.13
IV	वर्ष के बीस सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	शून्य		शून्य	

11.3 पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर : लागू नहीं

11.4 ऐसा कोई अग्रिम नहीं हैं जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे कि अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार लिया गया हो और इसलिए ऐसे अमूर्त संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य के विवरण लागू नहीं होते हैं

11.5 फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर: लागू नहीं

11.6 ऐसे एक्सपोजर जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं को पार किया है : शून्य

12. **उधारों/ ऋण सीमाओं, ऋण एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण**

12.1 **उधारों और ऋण सीमाओं का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	बीस सबसे बड़े उधारदाताओं से कुल उधार	575394.80	554469.25
(ii)	कुल उधार में बीस सबसे बड़े उधारदाताओं के उधार का प्रतिशत	67.01	70.00

12.2 **ऋण एक्सपोज़र का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोज़र	405418.47	420172.85
(ii)	एआईएफ़आई के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को एक्सपोज़र का प्रतिशत	48.20	52.70

12.3 **एक्सपोज़रों और अनर्जक आस्तियों का सेक्टर-वार संकेन्द्रण**

सेक्टर-वार अग्रिम नीचे दिए गए हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25			2023-24		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का %
I.	**कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित कृषि क्षेत्र***	**841125.53**	**2005.32**	**0.24**	**797221.61**	**1983.25**	**0.25**
1	केंद्र सरकार	83100.97	0.00	0.00	84124.79	0.00	0.00
2	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	राज्य सरकारें	232460.92	0.00	0.00	216838.69	0.00	0.00
4	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	48845.66	0.00	0.00	33188.01	0.00	0.00
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	150213.33	0.00	0.00	168872.09	0.00	0.00
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	77440.90	0.00	0.00	76964.14	0.00	0.00
7	सहकारी बैंक	184097.41	0.00	0.00	170637.78	0.00	0.00
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	15685.00	124.29	0.79	13628.07	102.22	0.75
9	अन्य रासकृग्रावि बैंक/ भूवि बैंक/ एनबीएफसी-एमएफआई/ एडीएफसी	49281.34	1881.03	3.82	32968.04	1881.03	5.71
II.	**अन्य**	**284.61**	**0.02**	**0.01**	**237.59**	**0.04**	**0.02**
1	निर्माण क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	स्टाफ ऋण#	284.61	0.02	0.01	237.59	0.04	0.02
	कुल (I+II)	**841410.15**	**2005.34**	**0.24**	**797459.20**	**1983.29**	**0.25**

* इनमें आरआईडीएफ़, डब्ल्यूआईएफ़, नीडा आदि जैसे प्रमुख ऋण शामिल हैं.

अनुसूची 13 में "अन्य अग्रिम" के अंतर्गत समूहन किया गया.

12.4 **अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र:** शून्य

13. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

13.1 **वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप -** शून्य

13.2 **एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न -** शून्य

13.3 **व्युत्पन्नों में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन :**

गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) बैंक विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए व्युत्पन्नों का उपयोग करता है. बैंक द्वारा किए गए सभी व्युत्पन्न, विदेशी मुद्रा उधार के रूप में अंतर्निहित हेजिंग उद्देश्यों के लिए हैं, जो एमटीएम नहीं हैं, बल्कि केवल ट्रांसलेटेड हैं. बैंक व्युत्पन्नों में ट्रेडिंग नहीं करता है.

(ii) हेजिंग के लिए आंतरिक नियंत्रक दिशानिर्देश, बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित किए जाते हैं. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही व्युत्पन्न संरचना तैयार की जाती है. व्युत्पन्न विवरणों के ब्यौरे भी एल्को को सूचित किए जाते हैं.

(iii) बैंक ने व्युत्पन्न सौदों से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए प्रणाली स्थापित की है. व्युत्पन्न सौदों से उत्पन्न होने वाले लेनदेन के लेखांकन के लिए बैंक प्रोद्भवन पद्धति का अनुसरण करता है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(i) बैंक व्युत्पन्नों में ट्रेडिंग नहीं करता है. तथापि, इसने $61.68 मिलियन ($69.48 मिलियन) की सीमा तक के अपने अंतरराष्ट्रीय उधारों की हेजिंग की है. विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग के परिणामस्वरूप उसे स्वैप करार/ वायदा संविदा के अनुसार संविदाकृत मूल्य पर दर्शाया गया है.

(ii) वर्ष के अंत में विनिमय दर के अनुसार हेज संविदा की बकाया मूलधन की राशि और ब्याज की राशि ₹529.50 करोड़ (₹579.49 करोड़) रही और लेखा बहियों में मूलधन बकाया देयता का मूल्य ₹517.99 करोड़ (₹517.99 करोड़) था. इस संबंध में राशि के रूप में मात्रात्मक प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25		2023-24	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (नोशनल प्रिंसिपल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	517.99		551.52	
	ख) ट्रेडिंग के लिए	--		--	
(ii)	मार्क्ड टू मार्केट पोजीशन				
	क) आस्ति (+)			17.00	
	ख) देयता (-)	(4.55)		--	
(iii)	ऋण एक्सपोज़र [2]	46.59		17.00	
(iv)	ब्याज दरों में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग व्युत्पन्न पर	16.66		(1.07)	
	ख) ट्रेडिंग व्युत्पन्न पर	--		--	
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01				
	क) हेजिंग व्युत्पन्न पर	--		--	
	ख) ट्रेडिंग व्युत्पन्न पर	--		--	

14. एआईएफआई द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफ़र्ट (एलओसी) का प्रकटन: शून्य

15. आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक की आल्को नीति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता पद्धति निर्धारित की गई है जो निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	0.00	0.00	650.00	10275.76	37948.11	47643.08	91876.66	87597.84	275991.45
अग्रिम	36440.64	18538.21	108326.62	81047.63	187588.28	164289.17	137066.22	105758.26	839055.03
निवेश	9570.56	1344.03	12889.44	8788.96	8178.41	6822.66	5133.09	39090.15	91817.30
उधार	58604.34	24708.39	99715.81	39756.90	69157.64	105500.91	76831.11	103793.66	578068.76
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा देयताएं	0.00	0.00	0.00	14.31	0.00	95.69	95.69	312.30	517.99

16. प्रारक्षित निधियों से आहरण : शून्य

17. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2024-25	2023-24
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	10.17	8.85
आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.86	0.77
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.41	1.92
लीवरेज अनुपात (%)	7.66	लागू नहीं

18. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन - शून्य

19. शिकायतों का प्रकटन

(क) ग्राहक शिकायतें

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	22	9
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	71	85
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	90	72
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	3	22

20. तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है) - नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी नहीं है.

21. विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

21.1 **लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन.**

लाभ और हानि लेखा में पिछली अवधि की निम्नलिखित मदें शामिल हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00

21.2 **लेखा मानक 15- "कर्मचारी लाभ"**

"कर्मचारी लाभ" के अंतर्गत लेखा मानक 15(संशोधित) के तहत अपेक्षित प्रकटन

21.2.1 परिभाषित लाभ योजनाएँ

बैंक की कर्मचारी सेवानिवृति लाभ योजनाओं में उन कर्मचारियों के लिए पेंशन शामिल है जिन्होंने 31 दिसंबर 2011 या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है. ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं. इस दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित इकाई जमा प्रणाली का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि से कर्मचारी के लाभ की पात्रता में अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होती है और अंतिम दायित्व के निर्धारण में प्रत्येक इकाई की गणना अलग से की जाती है.

प्रमुख बीमांकिक अनुमान और इन मान्यताओं का आधार

बीमांकिक अनुमान	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
छूट की दर	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	9871.46	8481.01	416.71	422.29	378.50	365.22
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	98.83	82.57	24.25	26.48	20.07	11.63
जोड़ें: पूर्ववर्ती सेवा लागत	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
जोड़ें: ब्याज लागत	699.59	621.80	30.63	32.09	27.82	27.76
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	704.19	1261.65	19.01	18.81	21.73	49.55
घटाएँ: भुगतान किए गए लाभ	(557.32)	(575.57)	(112.61)	(82.96)	(56.12)	(75.66)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	10816.75	9871.46	427.46	416.71	392.00	378.50

योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	9746.28	8482.47	407.45	397.74	86.58	121.52
जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	693.65	625.20	29.95	30.23	6.36	9.24
जोड़ें: बैंक द्वारा योगदान	321.60	1074.75	68.78	53.70	0.00	0.00
बीमांकिक लाभ/(हानि)	177.68	139.43	14.37	8.74	(1.36)	2.80

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
घटाएँ: भुगतान किए गए लाभ	(514.34)	(533.20)	(112.61)	(82.96)	(61.24)	(46.98)
घटाएँ: नियोक्ता द्वारा देय प्रतिपूर्ति	(42.97)	(42.37)	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	10381.90	9746.28	407.94	407.45	30.34*	86.58*

*इन निवेशों को वित्तीय विवरणों में बही मूल्य पर दर्शाया गया है. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार इन निवेशों का बही मूल्य ₹10.95 करोड़ (₹39.26 करोड़) है.

योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	693.65	625.20	29.95	30.23	6.36	9.24
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	177.68	139.43	14.37	8.74	(1.36)	2.80
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	871.33	764.63	44.32	38.97	5.00	12.04

मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक लाभ/ (हानि)

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि) - दायित्व	(704.19)	(1261.65)	(19.01)	(18.81)	(21.73)	(49.55)
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)- योजनागत आस्तियाँ	177.68	139.43	14.37	8.74	(1.36)	2.80
अवधि के लिए कुल लाभ/ (हानि)	(526.51)	(1122.22)	(4.64)	(10.07)	(23.09)	(46.75)
उक्त अवधि में मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	(526.51)	(1122.22)	(4.64)	(10.07)	(23.09)	(46.75)
वर्ष के अंत में गैर मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/ (हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

तुलनपत्र में मान्य राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य	10816.75	9871.46	427.46	416.71	392.00	378.50
घटाएँ: वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य*	10381.90	9746.28	407.94	407.45	0.00	0.00
गैर मान्यता प्राप्त पूर्व सेवा लागत - निहित लाभ - आगे ले जाए गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्य की जाने वाली देयता	434.85	125.18	19.52	9.26	392.00	378.50
तुलन-पत्र में मान्य देयता	434.85	126.64	19.52	10.47	392.00	378.50

*चूंकि अवकाश लाभों के लिए कोई पृथक ट्रस्ट नहीं है, इसलिए निवेश के लिए योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य ₹30.34 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹86.58 करोड़) है तथा इसे इसके बही मूल्य पर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

लाभ और हानि लेखे में मान्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्तमान सर्विस लागत	98.83	82.57	24.25	26.48	20.07	11.63
जोड़ें: पिछली सर्विस लागत	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
जोड़ें: ब्याज लागत	699.59	621.81	30.63	32.09	27.82	27.76
घटाएँ: योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	(693.65)	(625.20)	(29.95)	(30.23)	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष में मान्य निवल बीमांकिक लाभ/ (हानि)	526.51	1122.22	4.64	10.07	21.73	49.55
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए जाने वाले व्यय	631.28	1201.40	79.04	38.41	69.62	88.93
• जिसमें से, पिछले वर्ष के प्रावधानों में से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• कर्मचारियों से प्राप्त योगदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• लाभ और हानि लेखे पर प्रभारित	631.28	1201.40	79.04	38.41	69.62	88.93

* चूंकि अवकाश लाभों के लिए कोई पृथक ट्रस्ट नहीं है तथा बैंक द्वारा किए गए निवेश को उसके बही खातों में निवेश के रूप में रखा जाता है, इसलिए अपेक्षित प्रतिफल तथा बीमांकिक लाभ/ हानि के संबंध में कोई प्रभाव उपर्युक्त तालिका में नहीं माना गया है.

21.2.2 **परिभाषित अंशदान योजना :**

क) नाबार्ड पेंशन फंड ट्रस्ट में रखी गई भविष्य निधि में बैंक अपना अंशदान करता है. परिभाषाओं के अनुसार यह एक परिभाषित अंशदान योजना है. वर्ष के दौरान बैंक ने नाबार्ड पेंशन फंड ट्रस्ट को ₹30.00 करोड़ (₹38.34 करोड़) का अंशदान किया है.

ख) 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना जो कि एक परिभाषित अंशदान योजना है, के तहत शामिल किया गया है. वर्ष के दौरान बैंक ने उक्त योजना में ₹25.41 करोड़ (₹23.38 करोड़) का अंशदान किया है.

21.2.3 **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ**

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य ₹21.96 करोड़ (₹21.88 करोड़) को लाभ हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है.

21.2.3.1 पूर्वोक्त देयताओं में सहायक संस्थाओं में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से संबंधित देयताएँ शामिल हैं.

21.2.3.2 **सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का परिशोधन**

सेवानिवृत्ति पश्चात् की समस्त देयताओं को लाभ हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है और उनका परिशोधन नहीं किया जाता है.

21.2.4 **पेंशन, ग्रैच्युटी और छुट्टी लाभ निधि का योजनागत आस्तियों के अंतर्गत निवेश - 31 मार्च 2025 की स्थिति**

विवरण	पेंशन योजनागत आस्तियों का %	ग्रेच्युटी योजनागत आस्तियों का %	साधारण छुट्टी नकदीकरण योजनागत आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	20.84	0.00	0.00
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	37.08	0.00	0.00
इंश्योरर द्वारा प्रबंधित निधियाँ	0.00	100.00	100.00
अन्य	42.08	0.00	0.00
कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**

21.3 **लेखा मानक 17- खंड रिपोर्टिंग**

व्यवसाय खंड संबंधी सूचना

(क) **संक्षिप्त पृष्ठभूमि**

बैंक ने प्राथमिक खंडों की पहचान निम्नानुसार की है :

i) प्रत्यक्ष वित्तपोषण: इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा जिमस बैंकों को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं.

ii) पुनर्वित्त: इसमें राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, विदेशी बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं.

iii) ट्रेजरी: इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाओं, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है.

iv) उपर्युक्त तीन प्राथमिक खंडों के अलावा अन्य खंड अन्य व्यावसायिक खंड हैं. प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर तीन प्राथमिक खंडों के परिणामों का पता लगाने के बाद, गैर-आबंटन योग्य व्यय / देनदारियों / आस्तियों सहित शेष राशि को "अन्य व्यवसाय" के तहत समूहीकृत किया जाता है.

(ख) **प्राथमिक व्यवसाय खंड संबंधी सूचना**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*ट्रेजरी*		*पुनर्वित्त*		*प्रत्यक्ष ऋण*		*अन्य व्यवसाय*		*कुल*	
व्यवसाय खंड	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*	*2024-25*	*2023-24*
राजस्व	7649.52	5341.75	28911.04	24528.07	21765.14	18909.70	98.71	67.08	58424.41	48846.60
परिणाम	1425.27	618.77	3571.30	4439.17	7910.98	6172.90	(2752.95)	(3162.94)	10154.60	8067.90
अनाबंटित व्यय									0.00	0.00
परिचालन लाभ									10154.60	8067.90
आय पर कर									2526.28	1964.78
असाधारण लाभ/ हानि									0.00	0.00
निवल लाभ									7628.32	6103.12
अन्य सूचनाएं										
खंड आस्तियाँ	139058.27	101692.90	453289.86	430623.59	391092.15	368992.13	1076.71	9363.71	984516.99	910672.33
खंड देयताएँ	150328.53	110712.29	351850.09	341185.02	389591.47	373276.76	89924.46	82682.51	981694.55	907856.58
अनाबंटित आस्तियाँ									113.95	190.23
कुल आस्तियाँ									984630.94	910862.56
अनाबंटित देयताएँ									2936.39	3005.98
कुल देयताएँ									984630.94	910862.56

नोट: अनाबंटित आस्तियाँ आस्थगित कर आस्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और अनाबंटित देयताएं आयकर के लिए प्रावधान का प्रतिनिधित्व करती हैं

(ग) चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है.

21.4 **लेखा मानक 18 - संबंधित पक्षों का प्रकटन**

चूंकि बैंक 'एएस-18' "संबंधित पक्ष लेनदेन" की परिभाषा के अनुसार एक सरकार नियंत्रित उद्यम है, अतः सरकार के नियंत्रण वाले अन्य उद्यमों (सहायक संस्थाओं सहित) के साथ लेनदेन का विवरण प्रकट नहीं किया गया है.

संबंधित पक्षों की सूची :

क) **इस निकाय के नियंत्रण में कंपनियां :**

क्रम. सं.	*कंपनी*	*संबंध*
1.	नैबफिन्स लि.	सहायक संस्था
2.	नैबसमृद्धि फ़ायनान्स लि.	सहायक संस्था
3.	नैबकिसान फ़ायनान्स लि.	सहायक संस्था
4.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ प्रा. लि.	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था
5.	नैबवेंचर्स लि.	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था
6.	नैबफाउंडेशन	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था
7.	नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था

ख) **मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी :**

क्रम. सं.	पक्ष का नाम	पदनाम
1.	श्री शाजी के. वी.	अध्यक्ष
2.	श्री गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक
3.	डॉ. अजय के. सूद	उप प्रबंध निदेशक

ग) **संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन**

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें/ संबंधित	सहायक संस्थाएँ	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारी @	प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारी के रिश्तेदार	कुल
उधार#	-	-	-	-	-
जमाराशि#	-	-	-	-	-
जमाराशियों का नियोजन#	-	-	-	-	-
अग्रिम#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
निवेश#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
गैर-वित्तपोषित वचनबद्धताएँ#	-	-	-	-	-
प्राप्त की गई पट्टेदारी व्यवस्थाएँ#	-	-	-	-	-
प्रदान की गई पट्टेदारी व्यवस्थाएँ#	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	-	-	-	-
प्राप्त किया गया ब्याज	-	-	-	-	-
सेवाओं का उपयोग*	-	-	-	-	-
सेवाओं की प्राप्ति*	-	-	-	-	-
प्रबंधन संविदाएँ **	-	-	1.44(0.52)	-	

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत पर बकाया राशि तथा वर्ष के दौरान अधिकतम राशि का प्रकटीकरण किया जाना है

* संविदागत सेवाएँ आदि, न कि विप्रेषण सुविधाएँ, लॉकर सुविधाएँ आदि जैसी सेवाएँ.

** प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारी हेतु पारिश्रमिक.

21.5 **लेखा मानक 22 - आय पर कर हेतु लेखांकन**

बैंक एएस 22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार समय के अंतर पर आस्थगित कर आस्ति/ देयता को मान्यता देता है. वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹76.28 करोड़ (-25.21 करोड़) के आस्थगित कर व्यय को मान्यता दी है. 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार कुल आस्थगित कर आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	आस्थगित कर आस्तियाँ	2024-25	2023-24
	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	100.24	175.14
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	13.71	15.08
	कुल	**113.95**	**190.22**

आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर देयता के लिए मान्यता प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है.

चूंकि ऋण बही का आकार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप हर साल मानक आस्तियों पर प्रावधान करना आवश्यक है. अत:, एएस - 22 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, बैंक मानक आस्तियों पर प्रावधान के कारण आस्थगित कर आस्ति को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति की कोई उचित निश्चितता नहीं है.

21.6 **लेखा मानक 28 - आस्तियों में क्षतिग्रस्तता**

बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों में क्षतिग्रस्तता" लागू होती हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.

22. कर्मचारियों को प्रदत्त छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) लाभ का हिसाब तभी लिया जाता है जब कर्मचारियों द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है.
23. **गैर-परिशोधित पेंशन और उपदान देयताएँ: शून्य**
24. 24 सितंबर 2021 को ऋण एक्सपोज़र के अंतरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निर्देश के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित/ अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:
    (क) बैंक ने कोई भी अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)/ तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खाते (टीडब्ल्यूओ) अंतरित नहीं किए हैं.
    (ख) बैंक ने कोई भी दबावग्रस्त ऋण अधिग्रहित नहीं किया है.
    (ग) बैंक ने चूक में नहीं रहने वाला कोई भी ऋण अंतरित या अर्जित नहीं किया है.
    (घ) 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा वसूली रेटिंगों की विभिन्न श्रेणियों, जो उन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई हैं, के अंतर्गत धारित प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) का वितरण: शून्य
25. नाबार्ड भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य संस्थाओं की ओर से उनके बैंकर/ कस्टोडियन/ ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित निधियों के लंबित उपयोग पर उनकी ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त शेष राशियों पर उपचित ब्याज, जहाँ भी लागू हो, रखता है. अप्रयुक्त शेष राशियों पर ब्याज को तत्संबंधी करारों/ प्रबंधन/ निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसार निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया. संबंधित निधियों के लिए ब्याज की दरों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम. सं.	निधि का नाम	2024-25 के लिए ब्याज दर	2023-24 के लिए ब्याज दर
1.	वाटरशेड विकास निधि	3%	3%
2.	केएफ़डब्ल्यू - एनबी आईजीडब्ल्यूडीपी (आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	0%	3%
3.	केएफ़डब्ल्यू सहायक उपाय	0%	3%
4.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	0%	3%
5.	जनजाति विकास निधि	3%	3%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	3%	3%
7.	केएफ़डब्ल्यू-नाबार्ड-V आदिवासी विकास कार्यक्रम - गुजरात	0%	3%
8.	जलवायु परिवर्तन) - एएफ़बी - परियोजना निर्माण अनुदान	3%	3%
9.	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	3%	3%
10.	उत्पादक संगठन विकास निधि - ब्याज विभेदक	3%	3%
11.	जलवायु परिवर्तन निधि - ब्याज विभेदक	3%	3%
12.	ग्रीन क्लायमेट फंड परियोजना अनुदान	3%	3%
13.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	7.83%	7.29%
14.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और राय बरेली)	7.83%	7.29%
15.	सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केंद्र	7.83%	7.29%

26. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य (तुलन-पत्र की अनुसूची-13 देखें) राशि में ₹2.00 करोड़ (₹1.08 करोड़) की राशि शामिल है जो विभिन्न निधियों के नामे शेष की राशि है.
    इन निधियों का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	निधि का नाम	2024-25	2023-24
1.	केएफडब्ल्यू - मृदा परियोजना	0.92	0.00
2.	एनएएफ़सीसी	1.08	1.08
	कुल	**2.00**	**1.08**

27. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में विभिन्न बैंकों द्वारा रखी गई ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ़) जमाराशियों, भंडारागार आधारभूत संरचना विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ़) जमाराशियों और खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफ़पीएफ़) के संबंध में बैंक के पास उपलब्ध सापेक्षिक मार्जिन को वित्तीय समावेशन निधि और जलवायु परिवर्तन निधि - आईडी में 80:20 के अनुपात में जमा किया गया.
28. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	योजना	2024-25	2023-24
1.	दीर्घावधि सिंचाई निधि	567.95	558.87
2.	मौसमी कृषि परिचालन (मौकृप)	140.96	(70.68)
3.	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	34.72	35.07
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	126.07	67.08
5.	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़)	87.68	73.62
6.	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफ़आईडीएफ़)	25.85	17.94

29. मौसमी कृषि परिचालनों के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) और एनआरएलएम के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ब्याज सहायता योजना

के अंतर्गत पुनर्वित्त देने पर प्राप्त ब्याज मार्जिन की गणना ब्याज आय के रूप में की गई है. भारत सरकार से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त/ प्राप्य राशि ₹115.09 करोड़ (₹122.26 करोड़) है.

30. विभिन्न प्राधिकारियों के पास लंबित आयकर अपीलों को नीचे दर्शाया गया है:

क्रम. सं.	कर निर्धारण वर्ष	किस प्राधिकारी के पास अपील लंबित है	किसके द्वारा अपील की गई	31-03-2025 की स्थिति तक विवादित कर की राशि (₹ करोड़)	31-03-2024 की स्थिति तक विवादित कर की राशि (₹ करोड़)
1	2002-03	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	415.00	415.00
2	2006-07	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	217.85	217.85
3	2007-08	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	88.56	88.56
4	2008-09	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	118.77	118.77
5	2009-10	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	194.82	194.82
6	2010-11	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	28.20	28.20
7	2010-11	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	215.32	215.32
8	2011-12	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	51.03	--
9	2012-13	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	45.63	--
10	2013-14	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	1.70	--
11	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	51.07
12	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	287.62
13	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	45.63
14	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	327.03
15	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	1.70
16	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	380.05
17	2014-15	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	450.61
18	2015-16	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	448.87
19	2019-20	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	254.38
20	2019-20	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	0.59
21	2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	407.23	407.23
22	2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	360.69	360.69
23	2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	278.52	278.52
24	2022-23	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	182.64	--

31. पूर्ण स्वामित्व की भूमि तथा पट्टाकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ₹11.85 करोड़ (₹11.85 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका हस्तांतरण किया जाना अभी बाकी है.

32. भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्रावि बैंक) को इन एजेंसियों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) में अभिदान के रूप में दिए गए परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है:

32.1 निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया ह'.

32.2 उस पर अर्जित ब्याज को लाभ और हानि लेखा में 'ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है.

32.3 आईआरएसी मानदंडों, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन के लिए 'अनुमन्य अग्रिम'.

33. वर्ष के दौरान बैंक ने नवंबर 2022 से प्रभावी वेतन समझौते के लिए अनुमानित आधार पर ₹349.00 करोड़ की राशि निर्धारित की है. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार वेतन संशोधन के लिए ₹667.17 करोड़ का समापन प्रावधान बकाया है.

34. वित्तीय विवरणों की तिथि तक चल रही आरआईडीएफ की खेपों (XXVII से XXIX) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को संग्रहण अग्रिम के रूप में किए गए संवितरणों में से ₹633.71 करोड़ की राशि (₹407.85 करोड़) नॉन-स्टार्टर परियोजनाओं से संबंधित हैं. संबंधित/ अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक इस राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

35. तीन अनर्जक निवेश खातों के संबंध में, पिछले वर्षों में पूर्ण प्रावधान किया गया था और एनसीएलएटी के तहत समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी. एनसीएलएटी के आदेशों के अनुसार, बैंक ने ₹17.93 करोड़ की सीमा तक प्राप्तियों को लेखाबद्ध किया है.

36. दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत नाबार्ड को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत ₹5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बॉण्ड जुटाने के लिए अनुमति दी गई थी. तदनुसार 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए गए और 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए. ये कर मुक्त बॉण्ड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड की प्रकृति के हैं. ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति पर समरूप प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं और नाबार्ड के निर्दिष्ट बही ऋण पर पहला प्रभार हैं. चालू वर्ष के लिए इन बॉण्डों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹365.07 करोड़ (₹365.64 करोड़) है.

डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा इस प्रकार है :
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,
द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू,
29, सेनापती बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई- 400028
टेलीफोन: +91 22 6230 0451

37. कोष्ठक में इंगित आंकड़े पिछले वर्ष के हैं.
38. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण/ प्रस्तुति के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनःसमूहीकृत/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते **सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन सं.: 121750W / W100010

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

रमेश गुप्ता साझेदार सदस्यता सं.:102306	विनोद चंद्रशेखरन मुख्य महाप्रबंधक लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक - 27 मई 2025

डॉ. अजय कुमार सूद उप प्रबंध निदेशक	गोवर्धन सिंह रावत उप प्रबंध निदेशक	शाजी के. वी. अध्यक्ष

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल आधार पर नकदी प्रवाह

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		*2024-25*	*2023-24*
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		10,154.61	8,067.91
निम्नलिखित के लिए समायोजन:			
मूल्यह्रास और परिशोधन		56.79	47.78
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		33.49	(67.97)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		221.46	370.00
निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - इक्विटी		(8.50)	14.78
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि)		(1.05)	(0.75)
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (ब्याज विभेदक निधि में परिवर्धन/ समायोजन सहित)		188.99	194.46
उधारराशियों और जमाराशियों पर ब्याज व्यय		44,861.17	36,912.84
निवेश से आय (डिस्काउंट से आय सहित)		(7,649.52)	(5,344.46)
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन के पहले का परिचालन लाभ		**47,857.44**	**40,194.58**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:			
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी		(8,254.68)	(16,198.84)
चालू देयताओं में वृद्धि/ (कमी)		(332.19)	2,499.61
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)		(44,183.85)	(64,420.38)
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी		**(4,913.28)**	**(37,925.03)**
आय कर का भुगतान - रीफंड को घटाकर		(2,519.59)	(2,095.58)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(अ)**	**(7,432.87)**	**(40,020.61)**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)		7,649.52	5,344.46
अचल आस्तियों की खरीद		(79.43)	(74.61)
अचल आस्तियों की बिक्री		12.60	6.78
निवेश में (वृद्धि)/ कमी		(22,049.88)	(21,388.68)
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/ सृजित निवल नकदी (आ)		**(14,467.19)**	**(16,112.05)**
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
प्राप्त अनुदान/ अंशदान		(1,045.19)	186.83
बॉण्डों से प्राप्त राशि		41,216.15	39,472.85
उधारों में वृद्धि/ (कमी)		56,593.94	29,826.19
जमाराशियों में वृद्धि/ (कमी)		(25,966.62)	23,857.20
उधारराशियों और जमाराशियों पर भुगतान किया गया ब्याज		(42,850.58)	(36,912.84)
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी	**(इ)**	**27,947.70**	**56,430.23**
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)		6,047.64	297.56
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		8,608.82	8,311.26
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		**14,656.46**	**8,608.82**

1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं:	2024-25	2023-24
हाथ में रोकड़	-	-
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियाँ	6,568.72	3,561.58
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियाँ	4,437.74	3,747.24
बैंक के पास अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह और उससे कम की परिपक्वता वाली)	3,650.00	1,300.00
कुल	**14,656.46**	**8,608.82**

नोट: नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है.

इस तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 121750W / W100010

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306

विनोद चंद्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
दिनांक : 27 मई 2025

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
उप प्रबंध निदेशक

शाजी के. वी.
अध्यक्ष